पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 ई0 (पौष 10, 1944 शक सम्वत्) [संख्या–53

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	1013–1016	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	875–877	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	725–802	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–01

अधिसूचना

15 दिसम्बर, 2022 ई0

संख्या 1685/XXXI(1)/2022-विविध–27 / 2014–तात्कालिक प्रभाव से उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम–2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड सचिवालय में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के अन्तर्गत गठित कुल 06 अनुभागों में से "कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–06" को समाप्त करते हुए इसे सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में समाहित कर 01 अतिरिक्त अनुभाग सृजित किये जाने तथा सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का नाम परिवर्तित करते हुए **"सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी"** किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त के परिणामस्वरूप कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के अन्तर्गत कुल 05 अनुभाग तथा "सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी" के अन्तर्गत कुल 03 अनुभाग क्रियाशील हो जायेंगे, जिन्हें "सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग–01" "सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग–02" एवं "सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग–03" के नाम से जाना जायेगा। इनका विभागीय कोड विभागीय कोड–XXXIV तथा अनुभागीय कोड क्रमशः XXXIV-1, XXXIV-2, XXXIV-3 होगा।

3– "कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–06" को आवंटित समस्त कार्यों में से लोकायुक्त संगठन से सम्बन्धित कार्य को कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–05 को आवंटित किया जाता है तथा अवशेष समस्त कार्यो को "सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग–03" को आंवटित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग–06 में तैनात / कार्यरत समस्त कार्मिक अब "सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग–03"के कार्मिक माने जायेंगे।

4– उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के अधीन सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1093 / XXXI(1) / 2006, दिनांक 28 अगस्त, 2006 एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर किये गये संशोधनों एवं अधिसूचना संख्या–1600 / XXXI(1) / 2019, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

वन अनुभाग–02

अधिसूचना

02 दिसम्बर, 2022 ई0

संख्या 2432/X-2-2022-19(04)2014 टी0सी0–वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा–संशोधित 2002) (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53, सन् 1972) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य हेतु शासन की अधिसूचना संख्या–432/X–2–2015–19(04)2014 टी0सी0, दिनांक 31.01.2015 द्वारा गठित राज्य वन्य जीव बोर्ड (State Board of Wildlife) में उक्त निर्गत अधिसूचना के क्रमांक–17 एवं 18 में दी गयी व्यवस्थानुसार निम्नलिखित सदस्यों को दो वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0सं0	राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड में सम्मिलित महानुभाव/अधिकारी	पद	अवधि
धारा 6(1)(घ) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामित वन्यजीव से संबंधित 03 गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि।			
1.	WWF-India विश्व प्रकृति निधि–भारत	सदस्य	02 वर्ष
2.	हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एण्ड कंजरवेशन ऑर्गनाईजेशन (HESCO) शुक्लापुर, देहरादून।	सदस्य	02 वर्ष
3.	हिमालयन एक्सन रिसर्च सेंटर, इन्दिरा नगर, देहरादून।	सदस्य	02 वर्ष
धारा 6(1)(ड.) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामित 07 सुविख्यात संरक्षण विज्ञानी, पारिस्थितिकी विज्ञानी और पर्यावरण विज्ञान के प्रतिनिधि।			
1.	श्री अनूप शाह, नैनीताल।	सदस्य	02 वर्ष
2.	श्री अनिल कुमार दत्त, सेवानिवृत्त प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव), देहरादून।	सदस्य	02 वर्ष
3.	श्री बी0एस0 बोनाल, सेवानिवृत्त अपर महानिदेशक, वन्यजीव, भारत सरकार(अनु0जनजाति), पिथौरागढ़।	सदस्य	02 वर्ष
4.	मो0 फैज आफताब, 42 मयूर विहार, देहरादून।	सदस्य	02 वर्ष
5.	श्री मंयक तिवारी, गैबुआ, कालाढुंगी, नैनीताल।	सदस्य	02 वर्ष
6.	श्री संजय सोंधी, तितली ट्रस्ट, 49, राजपुर रोड़ एन्क्लेव, देहरादून।	सदस्य	02 वर्ष
7.	श्री ओम प्रकाश भट्ट, सर्वोदय केन्द्र, मंदिर मार्ग, गोपेश्वर, चमोली।	सदस्य	02 वर्ष

2– उपरोक्तानुसार गठित राज्य वन्य जीव बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा–संशोधित 2002) (अधिनियम संख्या 53, सन् 1972) की धारा 7 में उल्लिखित प्राविधानानुसार होगी।

3– प्रश्नगत राज्य वन्य जीव बोर्ड के कर्तव्य वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा–संशोधित 2002) (अधिनियम संख्या 53, सन् 1972) की धारा 8 के अनुसार होगें।

आज्ञा से,

विजय कुमार यादव,
सचिव।

उच्च शिक्षा अनुभाग–02

कार्यालय ज्ञाप

15 दिसम्बर, 2022 ई0

संख्या 83114/XXIV-C-2/2022-09(06)2017–एतद्द्वारा शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में तत्काल प्रभाव से राजकीय महिला महाविद्यालय, जसपुर (ऊधमसिंह नगर) में सह–शिक्षा/को–एजुकेशन प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रशान्त आर्य,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 53 हिन्दी गजट/727–भाग 1–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 ई0 (पौष 10, 1944 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

14 दिसम्बर, 2022 ई0

संख्याः I/11325/अधिष्ठान/दो–145/2022–विभागीय पदोन्नति चयन समिति की संस्तुति दिनांक 12.12.2022 के क्रम में परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड संवर्ग के अंतर्गत श्री कमलकान्त सेमवाल, प्रशासनिक अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वेतनमान 47,600–1,51,100, वेतन स्तर–8 के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

2– उक्त पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी है एवं सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

अरविन्द सिंह ह्याँकी,
परिवहन आयुक्त।

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

December 05, 2022

No. 362/UHC/Admin.A/2022--Ms. Krishtika Gunjiyal, Civil Judge (Jr. Div.), Purola, District Uttarkashi is directed to hold Camp Court at Barkot, District Uttarkashi for a week in a month till further orders or regular appointment of the Presiding Officer in the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Barkot, District Uttarkashi, whichever is earlier.

NOTIFICATION

December 05, 2022

No. 363/UHC/Admin.A/2022--Shri Vikas Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Barkot, District Uttarkashi is transferred and posted as Judicial Magistrate, Vikasnagar, District Dehradun in the vacant Court.

Note: The above orders will come into force with immediate effect.

By Order of the Court,
Sd/-
VIVEK BHARTI SHARMA,
Registrar General.

NOTIFICATION

December 09, 2022

No. 365/XIV-84/Admin.A/2003--Shri Sujeet Kumar, Judge, Family Court, Kotdwar, District Pauri Garhwal is hereby sanctioned medical leave for 15 days w.e.f. 18.11.2022 to 02.12.2022.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
I/c *Registrar (Inspection).*

NOTIFICATION

December 09, 2022

No. 366/XIV-a/37/Admin.A/2009--Shri Sandip Kumar Tiwari, Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Dehradun, is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 18.11.2022 to 27.11.2022.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

December 09, 2022

No. 367/XIV-a/34/Admin.A/2012--Ms. Niharika Mittal Gupta, 3rd Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun is hereby sanctioned:

1.	Earned Leave for 01 day i.e. 30.09.2022
2.	Medical Leave for 20 days w.e.f. 01.10.2022 to 20.10.2022

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

I/c *Registrar (Inspection).*

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

December 13, 2022

No. 1448/III-A-10/2022/SLSA--Smt. Anamika Singh, Secretary, District Legal Services Authority, Rudraprayag is hereby sanctioned earned leave for a period of 17 days w.e.f. 21.11.2022 to 07.12.2022 with permission to prefix of 20.11.2022 as Sunday holiday.

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

R. K. KHULBEY,

Member-Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 53 हिन्दी गजट/727–भाग 1–क–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 ई0 (पौष 10, 1944 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

नगर पंचायत तिलवाड़ा, जिला–रूद्रप्रयाग

07 मार्च, 2022 ई0

पत्रांक 594 न0प0ति0 / 2021–22–नगर पंचायत तिलवाड़ा, जिला–रूद्रप्रयाग सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–298 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा–2 खण्ड–(ज) (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत तिलवाड़ा, जिला–रूद्रप्रयाग द्वारा नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–128 की उपधारा–1 (ii)(iii) अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुये **"फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम–2019"** बनायी जाती हैं, जो नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, हेतु निम्न प्रकार नियमावली का गठन करते है।

अध्याय–1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :

(1) ये उप–नियम नगर पंचायत तिलवाड़ा, जिला–रूद्रप्रयाग फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम– 2021 कहलाऐगा।
(2) ये उप–नियम नगर पंचायत तिलवाड़ा, जिला–रूद्रप्रयाग के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. ये उप–नियम नगर पंचायत तिलवाड़ा, जिला–रूद्रप्रयाग की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

1. प्रसंग:

यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध इन मामलों में / सेप्टेज का अनुपालन किया जाये ताकि सेप्टेज / फेकल सलज सेप्टिक टैंक, गड्ढे, शौचालय, से पर्यावरण,ा नदी एवं अन्य पानी के स्रोत प्रदूषित न हो सके ।

1.1 राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय नीति:

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार "राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध नीति" वर्ष 2017 घोषित की है जिसमे शहर पूर्ण रूप से स्वच्छ, तंदुरूस्त और

जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे। शहरी नीति का मुख्य उद्धेश्य एक प्रसन्न, प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र सुरक्षित और स्थायी सफाई व्यवस्था हो सके ।

1.2 उत्तराखंड में सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोलः

नगर पंचायत तिलवाड़ा, जिला–रूद्रप्रयाग में "उचित प्रबंध योजना या प्रोटोकोल सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सेप्टिक टैंक में या बायो डाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है, नियमित रूप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबंध किया जाये और उसके परिणामस्वरूप खाद जो इस प्रकार से एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों में वितरित की जायेगी। जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/नगरपालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखंड जल संस्थान के समन्वय से होगा, इसके लिये **प्रोटोकोल सेप्टेज प्रबंध** तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा सूचित किया गया है, ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके–आदेश सं0 597/ 4(2)–यू0डी0–2017–50/16, दि0 22.05.2017 । इस नियमावली का सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल रूद्रप्रयाग शहर को दिग्दर्शन कराना है, ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबंध बना रहे, जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज, सेप्टेज/फेकल सलज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। इस प्रोटोकोल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट सेल का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत यू0एल0बी0, जल निगम, जल संस्थान होंगे।

2. नगरीय उपकानून/फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध का नियमितिकरणः

सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार के शा0 स0 .....एवं समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर पंचायत तिलवाड़ा, जिला–रूद्रप्रयाग के नियमित ढांचा रिक्त करने, एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज/फेकल सलज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है। फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध उपनियम के अंतर्गत, जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पंचायत तिलवाड़ा, जिला–रूद्रप्रयाग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है।

3. उद्धेश्य एवं कार्यक्षेत्रः

नियमावली के उद्धेश्य एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत हैः

1. निर्माण, सेप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढ्ढे, परिवहन, इलाज और सुरक्षित रखरखाव, जो कि सलज और सेप्टेज से सम्बन्धित है।
2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है, उसको निर्देशित करना जो कि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से और फेकल सलज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है, ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।
3. उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन।
4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि सलज के और सेप्टेज प्रबंध के उचित प्रबंध हेतु है।
5. निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना।

4– एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज और सेप्टेज के खुर्द–बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनानाः

4.1 सेप्टिक टैंक और सेप्टेज/फेकल सलज एकत्रीकरण को रिक्त करनाः

- सेप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको कटाना और एक बार उसको ठीक करना, जो कि गहराई में पंहुच गया है या बारंबार के आखिर में जो

डिजाइन है, जो कोई भी पहले आवे। जबकि सलज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है, उसको भी सुखाना। मैकेनिकल वेक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल में वर्णित है, को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

4.2 सेप्टेज/फेकल सलज का परिवहनः

1. फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे। जैसा कि समय–समय पर एस0एम0सी0 द्वारा स्वीकृत किये जायेगें।
2. फेकल सलज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे किः
अ. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि फेकल सलज और सेप्टेज हेतु इस्तेमाल किये जायेगें छिद्र निरोधी होगा और सुरक्षा हेतु ताला बंद रहेगा और मानदंड का अनुपालन करेंगे।
ब. कोई भी टैंक और उपकरण जो फेकल सलज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाजः

राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकोल के अनुसार प्रत्येक नगर पंचायत तिलवाड़ा, जिला–रुद्रप्रयाग की अपनी एक इकाई होगी। परन्तु इस निकाय मे इकाई न होने के कारण सेप्टेज को निकाय से 25 किमी दूर अंतर्गत स्थित उत्तराखण्ड जल संस्थान के एस0टी0पी0 में परिवहन किया जायेगा। भविष्य हेतु एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का निर्माण हेतु भी कार्य योजना तैयार कराने के प्रयास किये जायेगे।

5–सुरक्षा उपायः

1. उचित तकनीकी सयंत्र, सुरक्षा, उपकरण का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जायेगा। फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करेगे समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसके अंतर्गत कंधे की लंबाई तक पूरा नियोप्रीन गलब्स, रबड़ बूट, चेहरे का मास्क और आंखों की सुरक्षा आदि समस्त उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जायेगा। इसके लिये जागरूकता भी की जायेगी। इसके अलावा प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप और अग्निशामक यत्र, मल निस्तारण गाड़ी में रखे जायेगे। जब सेप्टिक टैंक और पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो, धूम्रपान वर्जित रहेगा।
2 मल निस्तारण कार्यकर्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे में प्रवेश नहीं करेंगे और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना–जाना रखेंगे, जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक होगा। बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जायेगा, एवम टैंक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रखा जाये। कर्मचारी सावधान

रहेंगे कि मल निस्तारण प्रक्रिया के समय ढक्कन पर अत्यधिक भार न हो ताकि मेन हॉल का ढक्कन टूटने से बचा रहे।

6. **सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहन:**

6.1 यू०एल०बी० दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो। इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा, जो कि गाड़ियों के परिवहन हेतु होगा। ये निजी व्यक्ति को भी अपने इस कार्य में उत्साहित करेंगे। पंजीकरण प्रपत्र और परमिट परिशिष्ट-ए. 2 में संलग्न है।

6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज़ ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है। जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल एस०एम०सी० के साथ इन प्रोटोकोलों में जब तक पंजीकृत नहीं है।

सारणी 1 पंजीकरण व्यय

अ. प्रारंभिक पंजीकरण	:	**रू0 2000.00 प्रति गाड़ी**
ब. नवीनीकरण	:	**रू0 1500.00 प्रति गाड़ी**

7. **उपभोक्ता लागत और इसका संचय:**

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि यू०एल०बी० में फेकल स्लज और सेप्टेज उपनियम में समय-समय पर दर्शाया गया है जो कि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्ढे, परिवहन और फेकल सलज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है, जो कि यू०एल०बी० कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है, उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।

7.3 यू०एल०बी० अपनी लागत संशोधित करेगा, जो कि समय-समय पर इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अंतर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एवं फेकल सलज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये जो निम्नवत है।

अ. उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित भवन/सेप्टिक टैंक मालिक से यू०एल०बी० द्वारा वसूल कर यू०एल०बी० मे जमा किया जायेगा

ब. यू०एल०बी० किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अंतर्गत फेकल सलज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जायेगी। जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से सम्बन्धित है।

सारणी 2: उपभोक्ता लागत:-

पालिका क्षेत्र मे सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या किसी भी शिकायत के इस आय की शिकायत प्राप्त होने पर कि सैप्टिक टैक ओवर–प्लो तो नही हो रहा है तुरन्त नगर पंचायत से सुपरवाईजर को भेज कर जॉच करवायेगे। इसके अलावा नगर पंचायत मे सेप्टिक टैंक को खाली कराने के ओवदन के आने पर नगर पंचायत द्वारा जॉच करायी जायेगी कि सेप्टिक टैंक कितना क्षेत्रफल का है और उसके खाली कराने मे कितने सीवर टेंकर के चक्कर लगेगे। तसदीक हाने पर निम्न प्रकार शुल्क वसूला जायेगा ।

1:–	नगर पंचायत के सीवर टैकर की क्षमता 5000 लीटर	
2:–	नगर पंचायत सीमा के भीतर	रू0 15000/– प्रति फेरा, तथा रू0 1000/– STP शुल्क, कुल रू0 16000/– भवन स्वामी नगर पंचायत मे शुल्क जमा करेगा। सैप्टिंक टेंक मे ज्यादा फिकल होने पर दुसरे फेर की स्थिति होने के कारण सम्बधित कर्मी के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात दूसरे फेरे मे 2000/–रू0 की छूट प्रदान की जायेगी ।
3:–	नगर पंचायत सीमा के बाहर	रू0 15000/– प्रति फेरा,तथा रू01000/– STP शुल्क , एवम रू0 500/ प्रति किमी, भवन स्वामी नगर पंचायत मे शुल्क जमा करेगा । सैप्टिंक टेंक मे ज्यादा फिकल होने पर दूसरे फेर की स्थिति होने के कारण सम्बधित कर्मी के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात दूसरे फेरे मे 2000/–रू0 की छूट प्रदान की जायेगी ।

4:– नगर पंचायत द्वारा यह भी देखा जायेगा कि यदि कोई सैप्टिंक टेंक ज्यादा ही छोटा है तो निरीक्षण पश्चात तथा यह समाधान हो जाने पर कि सम्बधित सैप्टिंक टेंक मे 5000 ली0 का सीवर टैंक पूर्ण नही भर पायेगा, उपरोक्त निर्धारित दरो मे आवश्यक छूट देकर शुल्क प्राप्त कर सकते है।

8. मैकेनिजम का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देना:

8.1 कोई भी व्यक्ति जो कि एस0एम0सी0/नगरीय स्थानीय संस्था द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करना।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर नगर पंचायत तिलवाड़ा, जिला–रूद्रप्रयाग मे जमा की जायेगी ।

8.3 यू0एल0बी0 और परिचारक सेप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगें।

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय–समय पर चलायी जायेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसायी के सेप्टिक टैंक, बायोडाइजेस्टर, मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का, एकत्रीकरण, मशीनरी, परिवहन, निष्पादन और सेप्टेज का इलाज हेतू प्रशिक्षण होगा ।

9. दंडः

दंड का ढांचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें, फेकल सलज का एकत्र न करना और सेप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लांट /आर.एन.एन. का रजिस्ट्रीकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाड़ियों का अनुपालन न करना।

सारणी 3: दंड

क्र. सं.	शिकायत का प्रकार	दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकड़ी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकड़ी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकड़ी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन
1	लोगो की सेवा की शिकायत	2500	5000	3 महीने के लिए परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण
2	सेप्टेज /फेकल सलज जैसा कि विशेष कार्यक्षेत्र मेंखाली न करने पर	1000	6 माह के लिये परमिट को स्थगित करना	
3	पंजीकरण न करना /पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000	20000	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिए परिमट को स्थगित करना/ परमिट का निरस्तीकरण लिए स्थगित करना
4	विशेष सुरक्षा उपायो का पालन न करना एवम जी0पी0 एस0 का न लगाया जाना	5000	10000	

रविराज सिंह बंगारी,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत तिलवाड़ा।

संजु जगवाण,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत तिलवाड़ा।

कार्यालय नगर पंचायत सेलाकुई (से0हो0टा0) जिला देहरादून

उपविधि

19 अक्टूबर, 2022 ई0

पत्रांक 410/गजट–प्र0/2022–23–उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916) (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश–2002) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश–2007 की धारा–298 (झ) का (घ) एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 की धारा–3,6 व 25 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित "ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम–1916" के नियम–15(ण), 15(च) एवं 15(य, च) तथा उत्तराखण्ड कूडा फेंकना एवं थूकना अधिनियम–2016 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत सेलाकुई जिला–देहरादून द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बनाई गयी **"ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि–2022"** नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत आपत्ति एवं सुझाव हेतु दैनिक राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र के अंक दिनाक 30.08.2022 में प्रकाशन किया गया है, परन्तु नियत अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुआ है।

अतः अब प्रशासक नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून द्वारा नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा-301(2) के अन्तर्गत "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि-2022" उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशित करने की स्वीकृति दी गयी है, यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि-2022

अध्याय-1 सामान्य

1- संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ-

(क) यह उपविधि नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि-2022" कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि उत्तराखण्ड सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

(ग) यह उपविधि उत्तराखण्ड सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व में उत्तराखण्ड सरकारी गजट में प्रकाशित "नगरीय ठोस अपशिष्ट(प्रबन्धन एवं हथालन) उपविधि यूजर चार्जेज 2017-18" निष्प्रभावी हो जायेगी।

2- यह उपविधि नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून की सीमाओं के भीतर लागू होगी।

3- परिभाषाएँ-

किसी विषय या प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उपविधि में निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू रहेगी-

(क) **"बल्क उद्यान और बागवान कचरा"** का अर्थ है, उद्यानों, बागों आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास कतरन, खरपतवार, कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेडो की छँटाई से उत्पन्न कचरा, पेडो की कटिंग, टहनिया, लकडी की कतरन, भूसा, सुखी पत्तियाँ, पेडो की छँटाई आदि से उत्पन्न ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नहीं किया जा सकता है।

(ख) "बल्क कचरा उत्सर्जन" का अर्थ है कि ठोस अपशिष्ट कचरा प्रबंधन नियम, 2016(जिसे बाद में यहाँ एस0डब्ल्यू0एम0 नियम कहा जायेगा) के नियम 3(1)(8)

के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्ध वार्ड कार्यालय के अधिशासी अधिकारी या उससे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक।

(ग) "संग्रह" का अर्थ है, ठोस अपशिष्ट उत्सर्जन के स्रोत से ठोस अपशिष्ट को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या अन्य स्थान तक पहुँचाना।

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ हैं नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून के अध्यक्ष/प्रशासक एवं अधिशासी अधिकारी, अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी।

(ङ) "निर्माण एवं विध्वंस कचरा" का वही अर्थ होगा, जो निर्माण एवं विध्वंस ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया है।

(च) "स्वच्छ क्षेत्र" का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारों ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल है, जिनका रख-रखाव इन उपविधियों के अंतर्गत किया जाना है।

(छ) "सामुदायिक कूडा घर (ढलाव)" का अर्थ है नगरपालिका द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/ या अधिभोगियो द्वारा मिल कर सड़क किनारे/ऐसे मालिकों/अधिभोगियो के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट के संग्रहण के लिये स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;

(ज) "कंटेनराइज्ड हैड कार्ट" का अर्थ है, ठोस अपशिष्ट के बिंदु दर बिंदु संग्रह हेतु नगर पालिका या उसके द्वारा नियुक्त एजेंसी/एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला।

(झ) "सुपुर्दगी" का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस अपशिष्ट को नगरपालिका के वर्कर या ऐसे ठोस अपशिष्ट की सुपुर्दगी के लिये नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौंपना अथवा उसे नगर पंचायत या नगर पंचायत द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना।

(ञ) "ई-कचरा" का अर्थ वही होगा, जो ई-कचरा (प्रबंधन) नियम,2016 के नियम 3(1) (आर) में निर्दिष्ट किया गया है।

(ट) "फिक्सड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस)- का अर्थ हैं, एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस अपशिष्ट को कम्पैक्ट करने के लिए किया गया और प्रचालन के समय स्थिर रहती है। प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती है, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता है।

(ठ) "ठोस अपशिष्ट" का अर्थ है, सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेंकना अथवा संग्रह करना इन उपविधियों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुँचाने की आशंका हो।

(ड) "गंदगी फैलाने" का अर्थ हैं, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना,जहाँ वह गिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुँचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।

(ढ) "स्वामी" का अर्थ है, जो किसी भवन या भूमि या किसी भाग के मालिक के रूप में अधिकारों का इस्तेमाल करता है।

(ण) "अधिभोगी/पट्टेदार" का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि, भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि, भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा है।

(त) "पैलेटाइजेशन" का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस अपशिष्ट से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकडे होते है; और उनके ईंधन पैलेटस भी शामिल होते है, जिन्हें रिफ्यूज डेराइब्ड ईंधन कहा जाता है।

(थ) "निर्धारित" का अर्थ है एसडब्लूएम नियमों या इन उपविधियों द्वारा निर्धारित;

(द) "सार्वजनिक स्थल" का अर्थ है कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिये सहज सुलभ है, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नहीं,

(ध) "संग्रहण" का अर्थ है, ठोस अपशिष्ट को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी ना फैले और मच्छर आदि कीटों, आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;

(न) "सैनेटरी वर्कर" का अर्थ है, नगर पंचायत के इलाकों में ठोस अपशिष्ट एकत्र करने या हटाने अथवा नलियों को साफ करने के लिये नगर पंचायत/एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति;

(न्न) "शेड्यूल" का अर्थ है, इन उपविधि से सम्बद्ध शेड्यूल से है।

(प) "इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभारी" का अर्थ है, नहर पंचायत द्वारा समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए ठोस अपशिष्ट उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस अपशिष्ट संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सके।

(फ) "खाली प्लाट" का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी एजेंसी से सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थान, जिसपर किसी का कब्जा न हो।

(2) यहाँ प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम-2016 में अभिप्रेत होगा।

अध्याय-2

ठोस अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

4- ठोस अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

i. सभी ठोस अपशिष्ट उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलों से उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट को नियमित रूप से पृथक करें और उसे संग्रहित करें। यह पृथक्करण मुख्य रूप से निम्नांकित 3 वर्गों में किया जायेगा-

(क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनों श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बों में रखा जाएगा तथा समय-समय पर जारी नगरपालिका के निर्देशों के अनुसार पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सोपेगा।

ii. प्रत्येक बल्क ठोस अपशिष्ट उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट को पृथक करें और उसे संगृहित करें निम्नांकित तीन वर्गों में-

(क) गैर-जैव अपघटीय या शुष्क कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) उपयुक्त कूडेदानो में जोखिमपूर्ण ठोस अपशिष्ट, जैविक(गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायो गैस आदि तैयार करना एवं पृथक्कृत कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एजेंसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रों या संग्रहण केंद्रों को सोपेगा और उसके लिए को नगर पंचायत द्वारा समय- समय पर निर्धारित दुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा।

iii. पृथक किए गए ठोस अपशिष्ट के संग्रहण के लिए कूडेदानो का रंग इस प्रकार होगा-

हरा- जैव अपघटीय कचरे के लिए,
नीला- गैर-जैव अपघटीय या शुष्क कचरे के लिए,
काला- घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

iv. सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर पंचायत के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जको द्वारा स्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए, पृथक किए गए ठोस अपशिष्ट को अलग-अलग डिब्बों में संग्रहित किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालो को सौंपी जाए। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासम्भव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे कचरे को नगर पालिका द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

v. 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगर पंचायत की भागीदारी के साथ, सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जको

द्वारा कचरे का स्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग-अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूडा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सोपेगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान, कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासम्भव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए ठोस अपशिष्ट को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

vi. सभी होटल और रेस्त्रां, नगर पालिका के भागीदारी से, कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गये ठोस अपशिष्ट को अलग-अलग डिब्बे में संग्रहीत करेंगे और फिर से इस्तेमाल कि जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौंपेंगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगरपालिका द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

vii. कोई व्यक्ति गैर-लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हो, ऐसा करने के लिये यह जरूरी होगा कि अनु सूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पंचायत को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्रोत पर अलग-अलग किया जाए, ताकि नगर पंचायत द्वारा निर्धारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौंपा जा सके।

viii. सैनेटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्सम्बंधी विनिर्माताओं या ब्रांड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचो अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपन किया जाए और उसे गैर-जैव अपघटीय या शुष्क कचरे के लिए बनाये गए कूडेदानो में रखा जाना चाहिये।

ix. प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री, निपटान योग्य प्लेटे, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा खुचा भोजन, सब्जियाँ, फल आदि को अलग-अलग करके उपयुक्त कूडेदानो में संग्रहीत करेगा और उसे नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौंपेगा।

x. उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय-समय पर नगर पंचायत के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

xi. घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगरपालिका या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय-समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुंचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड

सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।

xii. निर्माण कार्यों और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जाएगा।

xiii. बायो मेडिकल कचरा, ई-कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नहीं किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम,1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्सम्बंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

xiv. निर्दिष्ट बूचडखानो और बाजारों को छोड कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप पोल्ट्री, मछली और पशु वध सम्बंधी कचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हें ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्य कर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्रदान किए गए कचरा वाहन/स्थल तक पहुँचाना होगा। ऐसे कचरे को सामुदायिक कूडा घरों में डालना निषेध होगा।

xv. पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जको द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हें अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी पालिका श्रमिक/वाहन/कचरा एकत्रकर्ता/ कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जको के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय-समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

अध्याय-3

ठोस अपशिष्ट संग्रह

5- ठोस अपशिष्ट का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगा:-

i. नगर पंचायत के सभी क्षेत्रों या वार्डों में पृथक किए गए ठोस अपशिष्ट को घर-घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्लूएम नियमों का पालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने कि अनौपचारिक प्रणाली को नगर पालिका संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

ii. प्रत्येक घर से ठोस अपशिष्ट एकत्र करने के लिये क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्ध क्षेत्र में खास-खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगरपालिका वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर-घर जाकर ठोस अपशिष्ट एकत्र करने का समय सामान्यतः प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जको से ठोस अपशिष्ट एकत्र करने का समय

प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर पंचायत द्वारा समय-समय पर निर्धारित समय पर होगा।

iii. ठोस अपशिष्ट को स्व-स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जको से अविशिष्ट ठोस अपशिष्ट को एकत्र करने के प्रबंध किए जाएंगे।

iv. सब्जी, फल, फूल, मांस,पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

v. बागवानी और उद्यान संबंधी ठोस अपशिष्ट अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रायोजन के लिये सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगे।

vi. फलो और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे ठोस अपशिष्ट को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता हैं।

vii. कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध हैं। यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो ठोस अपशिष्ट का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा।

viii. ठोस अपशिष्ट उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर पंचायत द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/ऑटो-टिप्पर्स/रिक्शा आदि वाहनों में डालने के लिए जिम्मेदार होंगे। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों(इन उपनियमों के खंड 4 व उप-खंड(प) और (अ) के अंतर्गत आने वालो को छोडकर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

ix. ठोस अपशिष्ट संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरूरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएंगे, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगे और उनमें जैव अपघटीय और गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग-अलग दो कम्पार्टमेंट होगें।

x. स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण, घण्टी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

xi. प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाएँ और नगरपालिका द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएँ तालिकाबद्ध और जीआईएस मानचित्र में होगी, जो नगर पंचायत द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिंदु, प्रारम्भ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगर पंचायत अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस

पर प्राथमिक कचरा संग्रह और ढुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सके। ऐसी जानकारी नगर पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

xii. तंग गलियों में, जहाँ ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहाँ एक थ्रीव्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन/साइकिल रिक्शा काम पर लगाया जायेगा, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनों में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।

xiii. अत्यंत भीड भाड वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहाँ थ्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहाँ साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे।

xiv. ऐसी छोटी, तंग और भीडी गलियों/लेनों में जहाँ थ्रीव्हीलर /रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो, ऐसे स्थानों पर बस्ती/ गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहाँ कचरा संग्रह वाहन खड़ा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

xv. औटो टिप्पर, थ्रीव्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्रोतों जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूडेदानो और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।

xvi. नगर पंचायत या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कचरा संग्रह के लिए क्षेत्र कि सभी गलियों/लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगे।

अध्याय-4

ठोस अपशिष्ट का द्वितीयक संग्रहण

6- द्वितीयक संग्रहण बिंदुओं में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नांकित अनुसार किया जाएगा।

I. घरों में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूडा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर पालिका द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

II. ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओं को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा, जिनसे निम्नांकित के लिए अलग-अलग स्टोरेज होगे-

(क) गैर-जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा।

III. पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर पंचायत द्वारा चिह्नित अलग-अलग कंटेनरों का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगा-

- हराः जैव अपघटीय कचरे के लिए

- नीलाः गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए
- कालाः घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

नगर पंचायत समय-समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जको को करना होगा।

IV. नगर पंचायत स्वयं अथवा बाहरी एजेंसीयो के जरिये ठोस कचरा संग्रहण केंद्रों का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियाँ पैदा न हो।

V. द्वितीयक संग्रहण डिपुओ में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर पंचायत या किन्हीं अन्य निर्दिष्ट एजेंसीयो द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जो इस उप-नियमों में वर्णित अनुसार अलग-अलग रंगो के होगे।

VI. संग्रहण केंद्रों का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रखकर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना हैं।

VII. संग्रहण केंद्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पडे।

VIII. सभी आवास सहकारी समितियों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उपनियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूडेदान रखे और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानों पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखे ताकि वहाँ हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढंग से संग्रहीत किया जा सके।

IX. नगर पंचायत या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे साप्ताहिक आधार पर सभी कूडाघरों की धुलाई और संक्रमण मुक्त बनाने की व्यवस्था करें।

X. सूखे कचरे (गैर-जैव अपघटीय कचरा) के लिए रिसाइकलिंग सेंटर-

(क) नगर पंचायत अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रिसाइकलिंग केंद्रों के रूप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने सम्बंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रिसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढाई जा सकती है।

(ख) गली/घर-घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिश्ठनो से प्राप्त केवल सूखा कचरा(गैर-जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रिसाइकलिंग केंद्रों को स्थानांतरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रिसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रिसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते है अथवा अधिकृत एजेंटों और/ या नगरपालिका से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरों के अनुसार बेच सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रिसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रिसाइकिल योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रिसाइकलिंग यूनिटो को बेच सकते हैं। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशि रखने का हकदार होगे।

XI. निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जायेगा, जहाँ निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

(ख) नगर पंचायत अपनी एजेंसी को या छुटग्राही को यह दायित्व सौंप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जको से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथक्कृत तरीके से एकत्र करें।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रों पर अलग से लाया जाएगा।

अध्याय-5

ठोस अपशिष्ट की ढुलाई

7- ठोस अपशिष्ट की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रखकर की जाएगी-

i. ठोस अपशिष्ट की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभाँति कवर्ड होगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पडे। इन वाहनों में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है, जो नगरपालिका द्वारा चुनी गयी प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।

ii. नगर पंचायत द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे। कूडेदान या कंटेनरों के आसपास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा।

iii. आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथक्कृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटों जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो-मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुँचाया जाएगा।

iv. जहाँ कही प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

v. एकत्र किया गया गैर-जैव अपघटीय कचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केंद्रों अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुँचाया जाएगा।

vi. निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

vii. नगर पंचायत कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई के प्रबंध करेगा। गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और गलियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी।

viii. ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार-बार परिचालन से बचा जा सके।

ix. कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहाँ कही प्रदान किए गए हो, में जमा/स्थानांतरित करेंगे।

x. यदि किसी कारणवश एमटीएस/एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खडे नहीं पाए जाएंगे, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर पालिका द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।

xi. फिक्सड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

xii. कचरे कि ढुलाई के दौरान विभिन्न स्त्रोत से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नहीं होना चाहिए।

xiii. कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएगी।

xiv. इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करने वाले निर्दिष्ट औटो-टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों/कूडेदानो से कचरा प्राप्त करेगा।

xv. परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर-घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे औटो-टिप्परों, तिपहिया वाहनों, रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रूट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्ध एमटीएस तैनात किए जाएंगे।

xvi. एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय ले और कूडा कर्कट इधर-उधर न फैले।

xvii. ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्दगिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चाहिए।

xviii. नगर पंचायत अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

अध्याय-6

ठोस अपशिष्ट की प्रोसेसिंग

8- ठोस अपशिष्ट की प्रोसेसिंग-

i. नगर पंचायत ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रों और सम्बद्ध ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अंजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटको का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनायी जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय- समय पर जारी दिशा निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जाएगा-

(क) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो- मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव-स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्धति।

(ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/बडे कम्पोस्टिंग/बायो-मिथेनेशन प्लांटों के जरिए।

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कचरा आधारित बिजली संयंत्रों को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईंधन के रूप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रूप में ईंधन प्रदान करते हुए।

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए।

ii. नगर पंचायत रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

iii. कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्ध अनुबंधों की कार्यशर्तों का हिस्सा होगा।

iv. नगर पंचायत सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपड़ा आदि रिसाइकिल योग्य पदार्थ रिसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसीयो को भेजा जाए।

9- ठोस अपशिष्ट की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा-निर्देश-

i. नगर पंचायत सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलों एवं रेस्त्रां, बैंकट हॉलो और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासम्भव कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जको को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

ii. नगर पंचायत यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

iii. नगर पंचायत यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्कों से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासम्भव पार्कों और उद्यानों में ही किया जायेगा।

iv. नगर पंचायत कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्सम्बंधी यूनिट के आस पास स्वच्छता स्थितियाँ बनाए रखना अनिवार्य होगा।

अध्याय-7

ठोस अपशिष्ट का निपटान

10- ठोस अपशिष्ट का निपटान

नगर पंचायत ठोस अपशिष्ट और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरूप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सैनेटरी लैडफिल और सम्बद्ध ढांचे का निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव करेगा।

अध्याय-8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

11- ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क:-

(क) कचरा उत्सर्जको से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिये नगर पंचायत द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची-1 में निर्दिष्ट है।

(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा कि जाएगी।

(ग) नगर पंचायत इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रायोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाएगा।

(घ) नगर पंचायत ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्धतियाँ अपनाएगा।

(ङ)इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में

12 महीने के बजाए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि 6 महीने की बजाये साढ़े पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

(छ) अनुसूची-1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ जाएगा।

(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये कि भाँती वसूल की जाएगी।

12- एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना/दण्ड-

(क) एसडब्ल्यूएम नियमों अथवा इन उप-नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप-नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची-2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार-बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

(ग) जुर्माना या दण्ड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारी अधिशासी अधिकारी, कर निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, चौकी थाना प्रभारी होगे तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते है। जुर्माना या दण्ड राशि अनुसूचि-2 में दी गयी हैं।

(घ) अनुसूचि-2 में वर्णित जुर्माना अथवा दण्ड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ जाएगी।

(ङ) निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जाएगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय-9

प्रतिभागियों के दायित्व

13- ठोस अपशिष्ट उत्सर्जको के दायित्व-

i. कूडा फैंकने पर पाबंदी

(क) उत्तराखण्ड कूडा फैकना एवं थूकना अधिनियम-2016 में दिए गए प्राविधानो के अंतर्गत किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा फैलाना अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूडेदानो के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा नहीं फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केंद्रों या सुविधाओं को छोडकर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या

कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नहीं करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नहीं करेगा।

(ख)किसी सम्पत्ति पर कूडा फैलाना- अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूडेदानो के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूडा नहीं डालेगा।

(ग) वाहनों से कूडा फैकना- किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रूप में कोई व्यक्ति किसी गली, सड़क, फुटपाथ खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूडा नहीं फैंकेगा।

(घ)मालवाहक वाहन से गंदगी डालना- कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नहीं चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सड़क, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैड य अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सके।

(ङ)स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी- कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरों द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

(च)नालियों आदि में कचरे का निपटान- कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गंदगी नहीं डालेगा।

ii. कचरे को जलाना- सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्ध होगा।

iii. "स्वच्छ क्षेत्र"- प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस-पास का क्षेत्र स्वच्छ रहे। इन स्थानों में फुटपाथ और खुली नालियां/ गटर, सड़क किनारा शामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

iv. सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रदर्शनियां, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शनों आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जिनमें पुलिस विभाग और/या नगर पंचायत से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करें।

v. ऐसे आयोजनों के मामले में आयोजक से नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्ध सफाई निरीक्षक या नगर पंचायत द्वारा अधिकृत कर्मचारी प्राप्त करेगा, जो कार्यक्रम की अवधि में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी की उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गयी है। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और

इसमें सम्पत्ति को पहुँचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नहीं होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगर पंचायत की सेवाएं प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हें नगर पंचायत के सम्बद्ध सफाई निरीक्षक को आवेदन करना होगा तथा इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

vi. खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर-निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर पंचायत निम्नांकित ढंग से निपटेगा-

(क) नगर पंचायत किसी परिसर के मालिक/अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय-समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओ का अनुपालन करने में विफल रहता हैं तो नगर पंचायत निम्नांकित कार्यवाही कर सकता है-

I. ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और (पप) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेगा।

vii. डिस्पोजेबल उत्पादों और सैनेटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व-

(क) डिस्पोजेबल उत्पादों जैसे टिन, कांच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर पंचायत के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले बाजारों में ऐसे उत्पाद प्रारम्भ करने वाले ब्रैड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर पंचायत को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगर पंचायत इस प्रावधान के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

(ख) ऐसे सभी ब्रैड मालिकों को, जो गैर-जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते है, उन्हें ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएगी कि उनके उत्पादों में सभी रिसाइकिल योग्य पदार्थों का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा

पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसे नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैपिंग और डिस्पोजल के लिए लोगों को शिक्षित करेगी।

14- नगर पंचायत के दायित्व-

i. नगर पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भू-भाग में सभी साझा गलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीनें लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुँचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर पालिका अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता हैं, अथवा सरकारी निजी भागीदारी व्यवस्था का सहारा ले सकता हैं। इसके अतिरिक्त नगर पालिका सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यिक क्षेत्रों की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यकता हो।

ii. नगर पंचायत अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रों आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूडेदानो का रख रखाव करेगा।

iii. नगर पंचायत विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय अथवा सार्वजनिक स्थलों पर बने पेशाबघरों, सार्वजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैडफिल प्रोसेसिंग यूनिटो आदि स्थानों की निगरानी रख सके।

iv. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के पृथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिससे कम से कम अधिशासी अधिकारी रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

v. प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरूप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर पंचायत जहाँ कही अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असमर्थ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसीयो से यह काम करा सकती है। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

vi. नगर पंचायत अद्यतन सड़क/गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

vii. नगर पंचायत सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड सम्बंधी प्रावधानों की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

viii. नगर पंचायत कचरा उत्सर्जको को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि व गीले कचरे का स्त्रोत पर ही उपचार करें। नगर पंचायत विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो-मिथेनेशन, कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनों और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा सम्पत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है।

ix. नगर पंचायत स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहे सभी पार्कों, उद्यानों और जहाँ कही संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उसमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रिसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रिसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते हैं।

x. नगर पंचायत ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालो) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हें ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें।

xi. नगर पंचायत यह सूचित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताने, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाए, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

xii. नगर पंचायत कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

xiii. किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैंडफिल साइट पर कोई दुर्घट्ना होने की स्थिति मे, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर पंचायत को रिपोर्ट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

xiv. नियमित जांच- अध्यक्ष/प्रशासक अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि

यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा हैं।

xv. नगर पंचायत अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल ऐप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

xvi. नगर पंचायत एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्यौगिकियों/आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन /दिहाडी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने का प्रयास करेगा।

xvii. पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुँच- अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर पंचायत अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करेगा।

xviii. नगर पंचायत एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किए गए है।

अध्याय-10

विविध

15- इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे अध्यक्ष/प्रशासक, नगर पंचायत के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामलों में अंतिम होगा।

16- सरकारी निकायों के साथ समन्वय- नगर पंचायत अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

17- सक्षम प्राधिकारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और इन उपविधियों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं।

अनुसूची-1

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

1	2	3
क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/ अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क(यूजर चार्जेज रुपये में)
1	गरीबी रेखा से नीचे के घर(बी.पी.एल कार्ड धारक)	रु 30.00 प्रतिमाह
2	गरीबी रेखा से उपर एवं मध्यम आय वर्ग के मकान/परिवार	रु 100.00 प्रतिमाह
3	उच्च वर्ग के परिवार/मकान	रु 150.00 प्रतिमाह

1	2	3
4	सब्जी एवं फल विक्रेता	रु 10.00 प्रतिदिन ठेली पर फेरी
		रु 300.00 प्रतिमाह दुकान एवं फड
5	मांस एवं मछली विक्रेता	रु 1000.00 प्रतिमाह
6	रेस्टोरेंट	रु 300.00 प्रतिमाह छोटे रेस्टोरेंट
		रु 500.00 प्रतिमाह मध्य रेस्टोरेंट
		रु 1000.00 प्रतिमाह बडे रेस्टोरेंट
7	होटल/लॉजिग/गेस्ट हाउस	रु 200.00 प्रतिमाह 20 बेड तक
		रु 500.00 प्रतिमाह 21 बेड से 40 बेड तक
		रु 1000.00 प्रतिमाह 41 बेड से 100 बेड तक तथा इससे अधिक पर प्रति बेड रु 10 अतिरिक्त
8	धर्मशाला	रु 500.00 प्रति उत्सव/समारोह एवं प्रति
9	बारातघर (चेरिटेबल)	रु 500.00 प्रति उत्सव/समारोह
	बारातघर (नॉन-चेरिटेबल)	रु 2000.00 प्रति उत्सव/समारोह
10	बेकरी	रु 200.00 प्रतिमाह
11	कार्यालय/बैंक	रु 200.00 प्रतिमाह 50 कर्मचारी तक
		रु 500.00 प्रतिमाह 51 से 100 कर्मचारी तक
		रु 800.00 प्रतिमाह 101 से अधिक कर्मचारी तक
12	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (आवासीय)	रु 2000.00 प्रतिमाह 50 बेड तक और उससे अधिक पर रु 10.00 प्रति बेड
13	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (अनावासीय)	रु 1000.00 प्रतिमाह 500 विद्यार्थियों तक
		रु 5000.00 प्रतिमाह 501 से अधिक विद्यार्थियों तक
14	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)	रु 500.00 प्रतिमाह 20 बेड तक
		रु 1000.00 प्रतिमाह 21 से 40 बेड तक
		रु 2000.00 प्रतिमाह 41 से 100 बेड तक
		रु 5000.00 प्रतिमाह 101 से अधिक बेड तक
15	क्लीनिक/ पैथोलोजी	रु 100.00 प्रतिमाह क्लीनिक
		रु 300.00 प्रतिमाह पैथोलोजी
16	दुकान/चाय की दुकान	रु 100.00 प्रतिमाह छोटी दुकान
		रु 200.00 प्रतिमाह बडी दुकान
17	फैक्ट्री	रु 500.00 प्रतिमाह छोटी
		रु 1000.00 प्रतिमाह बडी
18	वर्कशॉप	रु 200.00 प्रतिमाह छोटा वर्कशॉप
		रु 500.00 प्रतिमाह बड़ा वर्कशॉप
19	कबाडी	रु 200.00 प्रतिमाह छोटा कबाडी

1	2	3
		रु 500.00 प्रतिमाह बड़ा कबाडी
20	जूस/गन्ने का रस विक्रेता	रु 10.00 प्रतिदिन ठेली/फड
		रु 500.00 प्रतिमाह दुकान
21	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिनमे अपशिष्ट उत्पन हो।	रु 500.00 प्रतिदिन होटल
		रु 1000.00 प्रतिदिन वैडिग पॉइंट
		रु 2000.00 प्रतिदिन सार्वजनिक/निजी स्थल पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन
22	ढहान तथा निर्माण सम्बंधी अपशिष्ट	रु 200.00 प्रतिदिन 0.50 घनमीटर तक
		रु 500.00 प्रतिदिन 1.00 घनमीटर तक
		रु 1000.00 प्रतिदिन 6.00 घनमीटर तक तथा उससे अधिक पर रु 200.00 घनमीटर अतिरिक्त
23	सिनेमा हॉल	रु 500.00 प्रतिमाह
24	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य(प्रतिष्ठान की स्थिति के अनुसार)	रु 500.00 बडी दुकान अथवा टुपलैक्स दुकान
		रु 1000.00 शॉरुम/काम्पलैक्स/टावर

इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलंब भुगतान/प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा।

अनुसूची-2

जुर्माना/दंड

क्र0 सं0	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)
1.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 4(1)(क)	कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौंपने में विफल रहना।	आवासीय	200.00
			बल्क जनरेटर	500.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह/पार्ट्री हॉल, फेस्टिवल हॉल, पार्ट्री लॉन, प्रदर्शनी और मेले स्थल	5000.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान	2000.00

			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर-आवासीय स्थान	200.00
			फिस, मीट विक्रेता द्वारा कूडे को पृथ्थकरण तरीके से न रखना	200.00
	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 4(2)	सड़क/गली में 1.कूडा फैकना, थूकना 2.नहाना, पैशाब करना,जानवरों को चारा खिलाना, कपड़े धोना, वाहन धोना, गोबर नाली में बहाना	उल्लंघनकर्ता	200 से 500 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फैकना एवं थूकना प्रति प्रतिशेध अधिनियम 2016 के अंतर्गत होगी। 500.00
2.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 4(1)(ख)और (घ)	नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	500.00
			गैर-आवासीय/बल्क जनरेटर	2000.00
3.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 4(1)(ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	500.00
			गैर-आवासीय/बल्क जनरेटर	2000.00
4.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 4(2), 15(ट)	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	2000.00
5.	एसडब्लयूएम नियमों का	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति	5000.00

	नियम 4(4),	स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना	जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैंनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	
6.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 4(5),	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/वेंडर कूडादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थकरण न करने, अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर	उल्लंघनकर्ता	200.00
7.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 4(2), 15(छ)	सार्वजनिक स्थलों, सडकों, गालियों आदि में गंदगी फैलाना/कुत्ते/अन्य जानवरों द्वारा मल त्याग/उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता	अपराधी	500.00
निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा।				
8.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 4(5),	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	एसोसिएशन, आर.डब्ल्यू.ए	
			बाजार एसोसिएशन, संघ	10,000.00
9.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 4(7),	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय	5000.00
			संस्थान	10,000.00
10.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 4(8),	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	होटल	10,000.00
			रेस्टोरेंट	5000.00

11.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 17(2),	उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन	विनिर्माता और/या ब्रॉड ऑनर/स्वामी	50,000.00
12.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 17(3)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता	विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कम्पनियां	25,000.00
13.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 15य(ड)	नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केंद्र स्थापित करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या मार्केट कॉम्पलेक्स आदि	25,000.00
14.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 20(ग)	गलियों, पहाडियों, सार्वजनिक स्थलों में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिंक, कैन टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर	उल्लंघनकर्ता/पर्यटक/वाहन/चालक	500.00
15.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 20(घ)	नगरपालिका की उपविधि को होटल/अथितिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता/पर्यटक/वाहन चालक	500.00
16.		सार्वजनिक सभाओं(जुलूस प्रदर्शनियों, सर्कस, मेले,राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यिक, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शन आदि सहित से सार्वजनिक	आयोजनकर्ता	2000.00

		स्थलों पर आयोजित गतिविधियों के क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)		

बी0एल0 आर्य,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून।

विनोद कुमार,
प्रशासक,
नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून।

कार्यालय नगर पंचायत सेलाकुई (से0हो0टा0) जिला–देहरादून

उपविधि (BY Laws)

19 अक्टूबर, 2022 ई0

पत्रांक 410 / गजट–प्र0 / 2022–23–नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–298 की उपधारा–2 खण्ड–ख के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून द्वारा प्रभारी सचिव शहरी विकास उत्तराखंड शासन देहरादून के पत्र सं0–597IV(2)–श0वि0–2017–50(सा0)/16 दिनांक 22–05–2017, और उत्तराखण्ड राज्य सेप्टेज प्रबन्धन प्रोटोकोल–2017 एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश सं0–10/2015 दिनांक 10–12–2012 में दिये गये निर्देशानुसार नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून हेतु बनाई गयी **"फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबन्धन उपविधि–2022"** नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत आपत्ति एवं सुझाव हेतु समाचार पत्र दैनिक हिन्दुस्तान के अंक दिनाक 08.09.2022 में प्रकाशन किया गया है, परन्तु नियत अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुआ है।

अतः अब प्रशासक नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून द्वारा नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा-301(2) के अन्तर्गत "फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबन्धन उपविधि-2022" उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशित करने की स्वीकृति दी गयी है, यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

भाग 1 उपविधि (By Lows)

फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) उपविधि-2022

1. शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

यह उपविधि नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून "फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) उपविधि, 2022 कहलायेगी, जो नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून के अधिकार-क्षेत्र में/पर लागू होगी।

यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी हो जाएगी।

2. अधिकार

यह उपविधि निम्नलिखित कानून के प्रावधानों को कार्यान्वयन में लाने के लिए सक्षम करता है:

a) उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) अनुकुलन एवं उपान्तरण आदेश 2002

b) उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकोल-2017

c) राष्ट्रीय नीति फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM)-2017

d) CPHEEO मैनुअल ऑन सीवरेज एंड सीवेज मैनेजमेंट-2013

e) मॉडल बिल्डिंग उपनियम-2016 और अन्य लागू बिल्डिंग कोड

f) मैनुअल स्कैवेंजर्स (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों) के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास उपविधि-2013

g) IS Code 2470 Part I & II, 1985 (Reaffirmed 1996) – Code of Practice for Installation of Septic

Tanks (सेप्टिक टैंक की स्थापना के लिए अभ्यास संहिता)

h) केंद्रीय कानून, नियम और विनियम (पर्यावरण संरक्षण उपविधि-1986)

i) जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपविधि-1974

j) उत्तराखंड के समस्त राज्य कानून पानी और स्वच्छता से संबंधित

3. विषय क्षेत्र

यह उपविधि की प्रशासनिक सीमा के भीतर FSSM में लगे सभी हितधारको के लिए लागू है-ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम (OSS) के स्वामी और उपयोगकर्ता, डीस्लजिंग और सेप्टज ट्रांसपोर्टेशन आपरेटर, सेप्टेज उपचार और निपटान के लिए जिम्मेदार सभी एजेंसियां, शहरी स्थानीय निकाय, सेप्टेज मैनेजमेंट सेल (SMC) समेत।

यह उपविधि नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून में स्थित सभी भवनो पर लागू होगा चाहे सार्वजनिक या निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, औद्योगिक, प्रस्तावित, नियोजित या मौजूदा।

4. सेप्टेज मैनेजमेंट सेल (SMC)

उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकोल-2017 अनुसार, नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून एक सेप्टेज मैनेजमेंट सेल (SMC) का गठन करेगा, जिनमें निम्नलिखित सदस्य रहेंगेः

क्र0	पद	सदस्य
1	सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) (Sub-division का नाम)	अध्यक्ष
2	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून	सदस्य सचिव
3	उत्तराखंड जल संस्थान के प्रतिनिधि (A.E के पद से नीचे नहीं)	सदस्य
4	उत्तराखंड पेयजल निगम के प्रतिनिधि (A.E के पद से नीचे नहीं)	सदस्य
5	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
6	स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
7	अन्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जा सकता है जो SMC को तकनीकी सलाह प्रदान कर सके	सदस्य

नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून और SMC इस उपविधि का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा इसके अंर्तगत संचालन की निगरानी करेंगे और (non-complying actors) पर पेनल्टी लगा सकते हैं। इस उपविधि में निर्धारित कर्तव्यो और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए SMC की बैठक समय-समय पर आहूत की जाएगी। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून , जो सदस्य सचिव हैं, SMC बैठक बुलाएँगे।

SMC की निगरानी जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति (Monitoring Committee) द्वारा की जाएगी, जैसा कि उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकोल 2017 में उल्लिखित है।

5. ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम (OSS) का निर्माण और रखरखाव

यह खंड ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम (OSS) जैसे कि सेप्टिक टैंक, गड्ढे, बयो-डाइजेस्टर आदि के निर्माण और रखरखाव में विभिन्न हितधारकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की रूपरेखा देता है।

5.1. नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून सीमान्तर्गत स्थित आवासीय भवन, व्यवसायिक/ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थानों में ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम (OSS) के स्वामी के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाः

5.1.1. सेप्टिक टैंक/OSS) का डिजाइन और निर्माण

- भवन स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिसर के शौचालयों में सोख गड्ढे के साथ सेप्टिक टैंक (septic tank with soak pit) या अन्य OSS का ठीक से निर्माण किया गया है, जैसा कि IS Code 2470 भाग I & II, 1985 (Reaffirmed 1996) और CPHEEO मैनुअल-2013 में उल्लिखित है।
- भवन स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि OSS का समुचित कार्य हो रहा है ताकि मल या अपशिष्ट का स्राव, रिसना, रिसाव या अन्यथा बचने से पर्यावरण को कोई प्रदूषण न हो। इसके लिए OSS की समय-समय पर मरम्मत का काम (repair or retrofitting) मालिक द्वारा किया जाएगा।
- भवन स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि OSS में छत का पानी, सतह-पानी, रन-ऑफ (Run-off) या बारिश का पानी प्रवेश नहीं करेगा।
- भवन स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि OSS से अपशिष्टों (Effluents) का सुरक्षित निपटान सोख गड्ढों या सीवर नेटवर्क के माध्यम से किया जाए।

5.1.2. OSS का खाली कराना डीस्लजिंग (Desludging)

- भवन स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि OSS को नियमित रूप से खाली कराएँ (तीन साल में कम से कम एक बार या टैंक दो-तिहाई भरा हो, जो भी पहले हो)।
- भवन स्वामी नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून को सूचित करेंगे जब सेप्टिक टैंक या containment unit की सफाई करनी है।
- जहाँ भवन स्वामी निजी डीस्लजिंग ऑपरेटर की सेवाएँ ले रहे हैं, वे केवल उन ऑपरेटरों की सेवा लेंगें जिनके पास FSSM सेवाएँ प्रदान करने के लिये नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून द्वारा जारी परमिट या लाइसेंस है।

5.1.3. उपभोक्ता शुल्क का भुगतान

- भवन स्वामी नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून या लाइसेंस-युक्त निजी ऑपरेटरो द्वारा FSSM सेवाओं के लिए उपभोक्ता शुल्क का उचित और समय पर भुगतान सुनिश्चित करेंगे, जैसा कि SMC द्वारा तय किया गया है और बाद में नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून द्वारा अधिसूचित किया गया है।

5.2. नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून के कर्तव्य एवं ज़िम्मेदारियाँः-

5.2.1. नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून में स्थित सभी OSS (septic tank, pits, biodigester etc.) की रजिस्ट्री

- नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून अपने अधिकार क्षेत्र मे निर्मित सभी OSS के एक रजिस्टर बनाए रखेगा, जिसमें सभी विवरण होंगे जैसे कि भवन स्वामी का नाम, GPS स्थान, OSS का प्रकार, आकार और स्थिति, खाली करने की आवृत्ति आदि जैसा कि उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकोल-2017 में उल्लिखित

है। इसके लिए नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून सर्वेक्षण या अन्य तरीकों का उपयोग कर सकता है।

- सभी नए निर्माणों को शामिल करने के लिए OSS की रजिस्ट्री को अपडेट किया जाएगा ।

5.2.2. OSS का उचित निर्माण और डिजाइन सुनिश्चित करना:-

- नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून अपने अधिकार-क्षेत्र में पंजीकृत नए निर्माणों को केवल तभी अनुमोदित करेगा जब OSS का निर्माण IS Code 2470 भाग-I, भाग-II और CPHEEO मैनुअल में निर्धारित मानकों के अनुसार है, यदि उल्लंघन हैं तो नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून दोषपूर्ण निर्माण के मालिकों को नोटिस जारी करेगा ।
- नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून जहाँ संभव हो, OSS को डिजाइन विनिर्देशों के अनुरूप में लाने के लिए रेट्रोफिटिंग (Retrofitting) के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

5.3. SMC के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ-

- SMC नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून को समय-समय पर निगरानी करने के लिए निर्देशित करेगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि OSS का उचित रखरखाव हो ।
- SMC समय-समय पर सभी FSSM से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करेगा जैसा कि उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकोल 2017 में उल्लिखित है।

6. मल और सेप्टेज का खाली करवाना और परिवहन

यह खंड हितधारकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है ताकि (नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून) में स्थित OSS रोकथाम इकाइयों (Containment Units) से मल और सेप्टेज (FSSM) का उचित संग्रह/खाली करना हो सके तथा उपचार और सुरक्षित निपटान/पुनः उपयोग के लिए, इसका निर्धारित साइटों (designated sit में/ treatment facility) तक सुरक्षित परिवहन हो सके।

6.1. FSSM के संग्रह और परिवहन में नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ:-

6.1.1. डीस्लजिंग (Desludging) और सेप्टेज परिवहन वाहनों का लाइसेंसिंग और पंजीकरण:-

- नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून अपने अधिकार-क्षेत्र में उचित पंजीकरण/लाइसेंस/ परमिट के बिना कोई भी डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटर को काम करने की अनुमति नहीं देगा। इसमें निजी-स्वामित्व के साथ-साथ सरकार के वाहन भी शामिल हैं (Nagar Palika Parishad, Jal Santhan आदि)। इसके अलावा यह नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून के बाहर से आने वाले वाहनों (दोनों निज़ी और सरकारी) पर लागू होता है।
- नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटरों को अपने अधिकार क्षेत्र में संचालित करने के लिए लाइसेंस/परमिट प्रदान करेगा। राज्य FSSM प्रोटोकॉल में उल्लिखित और SMC द्वारा अधिसूचित अनिवार्य तकनीकी, प्रशासनिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ऑपरेटरों को ही लाइसेंस/परमिट दिए जाएँगे (अनुबंध B देखें)।

- नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून के बाहर से आने वाले ऑपरेटरों को भी (दोनो निजी और अन्य ULB, जल संस्थान आदि के स्वामित्व वाले) अपने उद्भव के नगर पालिका परिषद (Nagar Palika Parishad of origin) द्वारा लाइसेंस प्राप्त होना है, यदि उन्हें नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून के भीतर संचालन की अनुमति प्राप्त करनी है। नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून ऐसे वाहनों के प्रवेश की एकलॉग-बुक (Log Book) बनाए रखेगा। नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून में इन वाहनों के संचालन की शर्तें SMC द्वारा उचित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तय की जाएंगी।
- नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून यह सुनिश्चित करेगा कि ऑपरेटरों के लाइसेंस समय-समय पर नवीनीकृत किए जाएं जैसा कि SMC द्वारा तय किया गया है। लाइसेंस का नवीनीकरण के लिए अनिवार्य तकनीकी, प्रशासनिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है।

6.1.2. डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहनों की प्रसिकरण और कर्मचारियों की भर्तीः-

- नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून यह सुनिश्चित करेगा कि अपने अधिकार-क्षेत्र FSSM के संग्रह और परिवहन के लिए डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहन पर्याप्त संख्या में हों, या तो नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून खुद वाहन प्राप्त करे या टेंडर आमंत्रित करके निजी ऑपरेटरों का चयन करें।
- नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून अपने वाहनों को चलाने के लिए केवल FSSM की सुरक्षित संभालन में प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्तियों को ही नियुक्त करेगा।
- जहाँ नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून निजी ऑपरेटरों की सेवाएँ टेंडर के माध्यम से ले रही है, अनुबंध प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जाएगा। नवीनीकरण सशर्त है ऑपरेटर के निष्पादन पर और उनके स्टेट FSSM प्रोटोकॉल में वर्णित और SMC द्वारा अधिसूचित इन वाहनों के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन पर।

6.1.3. डीस्लजिंग ऑपरेटरों की निगरानी

- नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सेप्टेज परिवहन वाहन नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून से एकत्र किया FSS केवल SMC द्वारा चिन्हित स्थलों (Site)/ उपचार सुविधाओं (Treatment Facilites) पर निस्तारण करेंगे।
- नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून सुनिश्चित करेगा कि सभी सेप्टेज परिवहन टैंकर GPS सिस्टम से युक्त है जिससे उनकी ट्रैकिंग (Tracking) की जा सकती है।
- नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून FSS के संग्रह, परिवहन और निपटान के लिए जॉब-कार्ड (Job Card0) पंजीकृत डीस्लजिंग ऑपरेटरों को प्रदान करेगा हर डिसग्लिंग ऑपरेशन को रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए जॉब-कार्ड की एक प्रति OSS के मालिक को सौंप दी जाएँगी, एक दूसरी प्रति निपटान स्थल पर, और तीसरी प्रति नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून कार्यालय में जमा की जाएगी। इस जॉब-कार्ड पर OSS के मालिक, डीस्लजिंग ऑपरेटर, ट्रीटमेंट यूनिट में प्लांट मैनेजर और नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून के नोडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून भुगतान का प्रमाण दिखाने के लिए OSS मालिकों को रसीदें प्रदान करेगा।
- नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून इन विनियमों के उल्लंघन में पाए जाने वाले ऑपरेटरो पर चमदंसजल /दंड लगाएगा।

- नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून किसी भी ऑपरेटर का लाइसैंस रद्द करेगा जो लाइसैंस नवीनीकृत करने में विफलता करे, या इन नियमो या मैनुअल स्कैवेंजर्स (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों) के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास उपविधि-2013 के प्रावधानों का बार-बार उल्लंघन करे ।

6.1.4. नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून की अन्य जिम्मेदारियाँ:-

नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून निम्नलिखित जिम्मेदारियां भी निभाएगा:

- अपने अधिकार-क्षेत्र में सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय को निर्दिष्ट अंतराल पर खाली करवाना या जब टैंक दो-तिहाई भरा हुआ हो, जो भी पहले हो।
- नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून सीमा के भीतर स्थित भवनों का सर्वेक्षण और निरीक्षण करना और उन मालिकों या भवनों को नोटिस/जुर्माना जारी करना जो इस उपविधि के अनुरूप नहीं हैं।
- नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन परमिट के लिए अपनी वेबसाइट पर और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा।
- नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून अपनी वेबसाइट और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर समय-समय पर लाइसैंस-प्राप्त/पंजीकृत ऑपरेटरों की सूची को प्रकाशित करेगा।
- नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून प्रत्येक डीस्लजिंग ऑपरेशन के बाद घरों से एकत्र किए जाने वाले फीडबैक फॉर्म प्रदान करेगा।
- नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून App-आधारित/फोनकॉल/SMS आधारित डीस्लजिंग सेवाओं जैसे विकल्पों की खोज कर सकता है, जो नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून को वास्तविक समय (Real Time) के आधार पर डेटाबेस को अपडेट करने और उपभोक्ता फीडबैक (User Feedback) से अवगत कराने में मदद करे।
- शेड्यूल्ड डीस्लजिंग (Scheduled Desludging)-उपविधि की धारा-5.1.2 में वर्णित समय-अवधि के अनुसार नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून अपने अधिकार-क्षेत्र में स्थित OSS को खाली करने के लिए मासिक कार्यक्रम (monthly schedule) विकसित कर सकता है।

6.2. डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटरों के कर्तव्य एवं ज़िम्मेदारियाँ:-

6.2.1. परमिट/लाइसैंस के लिए आवेदन और मानकों के अनुपालन-

- जो भी व्यक्ति नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून के अधिकार-क्षेत्र में FSS के संग्रह और परिवहन के लिए सेवाएँ प्रदान करना चाहता है, वह नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून से अपेक्षित लाइसैंस के लिए आवेदन करेगा। (फार्मेट के लिये अनुबंध C1देखें)
- आवेदन देने से पहले, आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि उनके वाहन डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहनो के लिये SMC द्वारा अधिसूचित तकनीकी, प्रशासनिक, सुरक्षा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल होगा कि टैंकर पानी-तंग और रिसाव-प्रूफ (water-tight and leak-proof tankers) हो, और यांत्रिक desludging उपकरण (mechanical desludging equipment) के साथ युक्त हो (अनुबंध B देखें)। इसके अतिरिक्त केवल FSS की सुरक्षित संभालन में प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्तियों को ही काम पर रखेंगे।

- ऑपरेटरों को लाइसेंस के लिये आवेदन के समय, और नवीनीकरण के समय, SMC द्वारा परिभाषित शुल्क का भुगतान करना होगा । (धारा 6.3.2देखें)
- लाइसेंस-प्राप्त/पंजीकृत ऑपरेटर समय-समय पर अपने लाइसेंस/परमिट के नवीनीकरण के लिए आवेदन करेंगे जैसाकि SMC द्वारा तय किए गए।

6.2.2. संचालन के मानदंडों के अनुपालन-

- ऑपरेटर SMC द्वारा तय किए गए और नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून द्वारा अधिसूचित किए गए संचालन के सभी मानदंडों का पालन करेगा। (अनुबंध C 2 देखें)
- ऑपरेटर नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून की सभी निगरानी आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे जैसे कि सेप्टेज संग्रह और परिवहन टैंकरों पर जीपीएस ट्रैकिंग (GPS Tracking) सक्षम करना।
- ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि एकत्र किए गए सेप्टेज को किसी भी जल निकाय या किसी भी अनधिकृत भूमि में नहीं डाला जाए।
- ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि सफाई के समय और निपटान के समय के बीच का अंतर 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।

6.2.3. अधिसूचित दरों के अनुसार फीस का निर्धारण-

- ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे डीस्लजिंग सेवाओं के लिए SMC द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक शुल्क OSS मालिकों से नहीं लेंगे।

6.2.4. दस्तावेजों का रखरखाव-

- ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टेज संग्रह, परिवहन और निपटान के लिए नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून द्वारा प्रदान किए गए जॉब-कार्ड (Job Card) OSS के मालिक, ट्रीटमेंट यूनिट में प्लांट मैनेजर/ऑपरेटर, डीस्लजिंग ऑपरेटर, और नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे, और प्रतियाँ प्रत्येक को सौंपी जाएँगी । (फार्मेट के लिये अनुबंध D देखें)
- ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि FSS के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून द्वारा जारी ऑपरेटर लाइसेंस की एक प्रति और मोटर वाहन पंजीकरण (motor vehicle registration) को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

6.2.5. श्रमिकों की सुरक्षा और सेप्टेज परिवहन के दौरान सावधानियों का पालनः-

- लाइसेंस-युक्त डीस्लजिंग ऑपरेटर FSS के केवल यांत्रिक संग्रह (mechanical desludging) और परिवहन में संलग्न होंगे, और 'मैनुअल स्कैवेंजर्स (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों) के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास उपविधि-2013' के सभी नियमों का अनुपालन करेंगे।
- ऑपरेटर सभी कर्मचारी को SMC द्वारा निर्धारित अपेक्षित सुरक्षा गियर (safety gear) प्रदान करेंगे।
- ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि FSS संग्रह और परिवहन में लगे सभी कर्मचारी पंजीकृत चिकित्सक या सरकारी अस्पताल से हर साल कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच करवाएँ और नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून के रिकॉर्ड में जमा करें।

- ऑपरेटर अपने द्वारा नियोजित, सेप्टेज के सफाई, परिवहन और निपटान की प्रक्रिया के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित सभी व्यक्तियों का बीमा करेंगे।
- सेप्टेज के सफाई, परिवहन और निपटान की प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति, संपत्ति, वाहन या पर्यावरण को होने वाली किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंस-युक्त डीस्लजिंग ऑपरेटर पूरी तरह से उत्तरदायी होंगे। ऑपरेटर ऐसे मामलों में मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जैसा कि नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून/अदालत द्वारा अधिसूचित है।
- FSS के परिवहन के दौरान आकस्मिक रिसाव की स्थिति में, ऑपरेटर तुरंत उसको नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करेगा, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करेगा, और साफ-सफाई की प्रक्रियाओं को पूरा करेगा। ऑपरेटर 24 घंटे में नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून के संबंधित अधिकारियों को रिसाव और उसकी उपचारात्मक कार्रवाई के बारे में सूचित करेंगे। इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाले लाइसेंस-युक्त ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

6.3. SMC के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ:-

6.3.1. सेप्टेज के संग्रह और परिवहन के लिए उपभोक्ता शुल्क निर्धारित करना-

- सेप्टेज संग्रह और परिवहन के लिए उपभोक्ता शुल्क डीस्लजिंग संचालन के ओ.-एम. की व्यय आवश्यकता (Operation & Maintenance cost) पूरा करने के लिए प्रयुक्त होगा। SMC यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता शुल्क न्यूनतम रखा जाए। सभी दरों का निर्धारण हितधारकों के साथ उचित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता (OSS के स्वामी) पर कोई अनुचित बोझ नहीं है या ऑपरेटरों या नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून को कोई अनुचित नुकसान नहीं होगा, और FSSM गतिविधियों को बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके।
- SMC नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून को निर्देश दे सकता है कि उपभोक्ता शुल्क को संपत्तिकर (property tax) में शामिल करें।
- SMC यह भी निर्धारित करेगा कि उपयोगकर्ताओं से एकत्र उपयोगकर्ता शुल्क नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून (सुविधा शुल्क), जल संस्थान विकासनगर (O & M शुल्क) और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर (सेवा शुल्क) के बीच कैसे साझा किया जाएगा।
- SMC संबंधित हितधारका की उचित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से समय-समय पर इन दरों को संशोधित करेगा और उनको सूचित करेंगे।

6.3.2. लाइसेंसिंग शुल्क को निर्धारित करना-

- लाइसेंस देने के लिए आवेदन के प्रसंस्करण के लिए SMC एक मामूली आवेदन शुल्क निर्धारित करेगा। शुल्क का भुगतान चेक (Cheque) या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून के नाम पर निम्नानुसार होगा:

डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहन पंजीकरण शुल्क (- वर्ष के लिए)

I. प्रारंभिक पंजीकरण शुल्कः रु - प्रति वाहन

II. पंजीकरण के नवीकरण के लिए शुल्क रू - प्रति वाहन

शुल्क संशोधन के अधीन होंगे (अवधि और दर SMC द्वारा तय किया जाएगा)

(सभी दरें उचित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से SMC द्वारा तय किया जाएगा और नगर पालिका परिषद द्वारा अधिसूचित किया जाएगा)।

6.3.3. निगरानी की गतिविधियाँ-

- SMCए आवश्यकता के अनुसार, सेप्टेज परिवहन वाहनों के लिए निष्पादन मानकों (performance standards) को जारी करेगा।
- SMC नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून में चलने वाले सेप्टेज परिवहन वाहनों के आवधिक निरीक्षण के लिए जिम्मेदार होगा कि वे निर्धारित मानकों के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं।
- यदि ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन पाया जाता है, तो SMC नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून को सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश देगा।
- SMC कोई भी ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन के लिए दंड को परिभाषित करेगा। (अनुबंध F देखें)

6.3.4. शिकायत निवारण-

- SMC FSSM सेवाओं से संबंधित शिकायतें OSS के मालिकों, डीस्लजिंग ऑपरेटरों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से स्वीकार करेगी। यदि आवश्यक हो, SMC अपीलीय निकाय (Appellate Body) या शिकायत निवारण क्रियाविधि (Grievance Redressal Mechanism) बना सकते हैं।

7. मल और सेप्टेज (FSS) का उपचार और पुनःउपयोग/निपटान

7.1. SMC के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियां-

7.1.1. उपचार और निपटान स्थल को चिन्हित करना-

- SMC नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून से 20-25 कि.मी.के भीतर लाइसेंस धारी सेप्टेज परिवहन ऑपरेटरों द्वारा FSS के निपटान के लिए स्थान/उपचार केन्द्र को चिन्हित करेगा और उसको अधिसूचित करेगा ।
- CPHEEO की Draft Advisory on Land Application of Faecal Sludge, 2020 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार, जहां उपचार की सुविधा (STP/FSTP) उपलब्ध नहीं है तथा अस्थायी उपाय के रूप में SMC FSS की वैज्ञानिक लैंड एप्लिकेशन (scientific land application) को अधिसूचित कर सकती है।

7.2. डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटरों के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियां-

- ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून से एकत्र किया गया FSS, केवल SMC द्वारा अधिसूचित साइट या उपचार केन्द्र में निपटाया जाएगा।
- डीस्लजिंग ऑपरेटर द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट-युक्त FSS (FSS containing industrial waste) का परिवहन या निपटान नहीं किया जाएगा।

7.3. उपचार केन्द्र एजेंसी के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियां-

- उपचार केन्द्र के ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निपटान के समय डीस्लजिंग ऑपरेटर के पास नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून द्वारा जारी वैध लाइसेंस या परमिट है।
- उपचार केन्द्र के प्रबंधक (plant manager) नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून द्वारा जारी किए गए FSS के संग्रह, परिवहन और निपटान के रिकॉर्ड (Job Card) पर हस्ताक्षर करेगा जो निपटान के समय डीस्लजिंग ऑपरेटर द्वारा उत्पादित किया जाएगा।
- उपचार केन्द्र के संचालक FSS के निपटान के लिए टिपिंग शुल्क (tipping fee) के लिए रसीद प्रदान करेंगे।
- उपचार केन्द्र सेप्टेज के उपचार के लिए उपयुक्त तकनीक अपनाएगी। इसके अलावा, उपचार के बाद निस्तारण किया स्लज और अपशिष्ट जल (sludge and waste water) को केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा जारी मानदंडों का पालन करना चाहिए। समय-समय पर उपचारित अपशिष्टों का परीक्षण करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे डिस्चार्ज मानकों (discharge criteria) के अनुरूप है।
- उपचार अंतिम उत्पाद (उपचारित अपशिष्ट जल और स्लज सहित) का अधिकतम पुनरू उपयोग, मानकों और मानदंडों के अनुसार, सुनिश्चित करेगा। उपचारित अपशिष्ट जल का उद्योगों, बिजली संयंत्र, सिंचाई और बागवानी उद्देश्य से पुनः उपयोग किया जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल को विभिन्न पुनः उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही नदी/जल में डाला जाएगा।
- FSS के निपटान के लिए असाधारण परिस्थितियाँ यदि उपचार केन्द्र के अधिक भार (overloading) या FSS की अवांछनीय गुणवत्ता (undesirable quality) के कारण उपचार केन्द्र FSS को स्वीकार करने में असमर्थ है, उपचार केन्द्र संचालक को सेप्टेज परिवहन ऑपरेटर को अस्वीकृति का कारण लिखित में देना होगा संबंधित कर्मियों के हस्ताक्षर के साथ। इस स्थिति में, सेप्टेज परिवहन ऑपरेटर को सेप्टेज को SMC द्वारा निर्दिष्ट अन्य स्थान पर निपटान करना होगा।

7.4. नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियां-

- नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून उत्तराखंड पेयजल निगम, उत्तराखंड जल संस्थान और उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्देशित किसी अन्य एजेंसी की सहायता से, मौजूदा या आगामी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STPs) में फीकल स्लज और सेप्टेज के सह-उपचार (co-treatment) की क्षमता की पहचान कर सकते हैं, और वैज्ञानिक तरीके से STP परिसर में सेप्टेज के उपचार और निपटान के लिए आवश्यक आधारिक संरचना तैयार कर सकते हैं।
- नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून उपचारित FSS के पुनः उपयोग की संभावनाओं का पता लगाएगा। खाद के रूप में फिर से उपयोग के लिए, इसे किसानों को मुफ्त में वितरित किया जाएगा।

8. IEC गतिविधियाँ

नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून FSSM के बारे में विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिये समय-समय पर निम्नलिखित IEC और क्षमता निर्माण् (capacity building) गतिविधियों का कार्य करेगाः

- OSS मालिकों, राजमिस्त्री आदि को वैज्ञानिक रूप से OSS का डिजाइन, निर्माण तकनीक, इसके आकार आदि के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए IEC को बढ़ावा देना।
- FSSM में लगे कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।

- सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए SOP (MOHUA 2018) के आधार पर सभी डीस्लजिंग ऑपरेटरों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करना।

भाग 2 अनुबंध (Annexures)

I. अनुबंध A1- परिभाषाएं

सेप्टेज प्रबंधन में मूल परिभाषा के लिए निम्नलिखित व्याख्याएं प्रदान की गई हैंरू

फीकल स्लज - यह गड्ढे शौचालय, सेप्टिक टैंक, एक्वा प्राइवेट और ड्राई टॉयलेट जैसे ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम (OSS) के तल पर जमा हुआ पदार्थ हैं, जो कच्चा है या आंशिक रूप से पचा हुआ है, और घोल या अर्धनिर्मित रूप में होता है।

सेप्टेज- सेप्टिक टैंक, सेसपूल, या इस तरह के ऑनसाइट उपचार सुविधा से पंप की जाने वाली तरल और ठोस (मैल, स्लज और ग्रीस) पदार्थ जब यह समय के साथ जमा हो जाता है। इसमें कई रोग पैदा करने वाले जीव के साथ ग्रीस, ग्रिट, बाल और मलबे के संदूषण होते हैं।

एफ्लुएंट (Effluent)- सेप्टिक टैंक से सतह पर तैरने वाला तरल निर्वहन। इसे नालियों और सीवरों के नेटवर्क में एकत्र किया जा सकता है और उचित रूप से डिजाइन किए गए उपचार केन्द्र में उपचार किया जा सकता है।

ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम (OSS) - स्वच्छता प्रणाली जहां मल और अपशिष्ट जल एकत्र किया जाता है और उसी स्थान पर संग्रहीत या उपचारित किया जाता है। गड्ढे शौचालय और सेप्टिक टैंक इसके उदाहरण हैं।

सेप्टिक टैंक- एक भूमिगत टैंक जो अपशिष्ट जल का उपचार ठोस पदार्थों के अवसादन (sedimentation) और अवायवीय पाचन (anaerobic digestion) के माध्यम से करता है। अपशिष्ट को सोखता गड्ढों या छोटे बोर के सीवरों में डाला जा सकता है। सेप्टिक टैंक के तल पर जमा होने वाले स्लज को समय-समय पर खाली करने और उपचारित करने की आवश्यकता होती है। (जब यह निर्धारित गहराई तक पहुंच जाता है या निश्चित डीस्लजिंग आवृति (desludging frequency)

डीस्लजिंग (Desludging) - सेप्टिक/इम्होफ टैंक, इंटरसेप्टर टैंक या अवसादन टैंक जैसे उपचार टैंकों से स्लज/कीचड़ या जमा हुए ठोस पदार्थ को निकालना।

सीवेज- शौचालय से निर्वहन किया गया अपशिष्ट जल जिसमें मानव शरीर के अपशिष्ट पदार्थ (मल और मूत्र आदि), भंग या असंगत, होते हैं। सेप्टिक टैंक या इस तरह की किसी भी सुविधा से निकलने वाली अपशिष्ट भी सीवेज है।

सीवरेज सिस्टम- सीवेज के संग्रह के लिए भूमिगत नाली को सीवर कहा जाता है। सीवरेज सिस्टम सीवर के नेटवर्क को कहलाता है जो प्रत्येक संपत्ति से उत्पन्न सीवेज को सीवेज पम्पिंग स्टेशन तक ले जाता है, जहां से इसे उपचार के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पंप किया जाएगा।

उपचार (Treatment)- यह निर्दिष्ट सुविधाओं में सेप्टेज के आगे के प्रसंस्करण को संदर्भित करता है जिस से इसका पुनरू उपयोग या सुरक्षित निपटान हो सकता है।

सह-उपचार (Co-Treatment)-STP पर फीकल स्लज और सेप्टेज (FSS) का सह-उपचार एक उपचार प्रक्रिया है जिसमें STP FSS को प्राप्त करता है, इसका पूर्व-उपचार करता है, और उचित प्रक्रिया इकाइयों (process units) में वितरित करता है।

डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहन (*Septage Transportation Vehicles*)- वैक्यूम पंपों से युक्त वाटर-टाइट, लीक-प्रूफ टैंकर जो OSS से FSS के सुरक्षित संग्रह, इसके सुरक्षित परिवहन और निर्दिष्ट सेप्टेज उपचार सुविधाओं में इसके निपटान के लिए उपयोग किया जाता है।

सेप्टेज मैनेजमेंट सेल (SMC)- नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून स्तर पर FSSM गतिविधियों की निगरानी के लिए गठित निकाय जिसमें सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM), अधिशासी अधिकारी, उत्तराखंड जल संस्थान, उत्तराखंड पेयजल निगम, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि और अन्य तकनीकी सलाहकार शामिल हैं।

II. अनुबंध A2 लघुरूप

FSS – Faecal Sludge and Septage

FSSM – Faecal Sludge and Septage Management

FSTP – Faecal Sludge Treatment Plant

OSS – Onsite Sanitation Systems

SMC – Septage Management Cell

STP – Sewage Treatment Plant

ULB – Urban Local Body

III. अनुबंध B- डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटर को लाइसेंस प्रदान करने के लिए नियम और शर्तें (तकनीकी, प्रशासनिक, सुरक्षा और अन्य आवश्यकताएं)

सभी डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन परिचालक, निजी या नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून के स्वामित्व वाले, सेप्टेज के सुरक्षित संग्रहण और परिवहन के लिए निम्नलिखित नियम और शर्तों को पूरा करेंगे। ये शर्तें नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून द्वारा डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं। इन प्रावधानों का उल्लंघन लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा और उल्लंघन करने वाला ऑपरेटर निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए अनिवार्य शर्तें		
तकनीकी आवश्यकताएं	हाँ	नही
OSS और मैनहोल का पता लगाने और मैनहोल खोलने के लिए बेलचा, चतल बार, स्क्रूड्राइवर्स और अन्य हाथ उपकरण		
FSS पंपिंग और OSS में पानी मिलाने के लिए होज़ (Hose)		

टैंकर रिसाव-प्रूफ, गंध-प्रूफ और स्पिल-प्रूफ (leak-proof, odour-proof and spill-Proof) है और उचित सक्शन और डिस्चार्ज उपकरण से युक्त है।		
टैंकर नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून द्वारा ट्रैकिंग और निगरानी के लिए GPS से युक्त है।		
किसी भी औद्योगिक अपशिष्ट (Industrial waste) के परिवहन के लिए टैंकर का उपयोग नहीं किया जाता है।		
प्रशासनिक आवश्यकताएँ	हाँ	नही
वाहन के पास मोटर वाहन विभाग से पंजीकरण प्रमाण पत्र है		
वाहन के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध प्रमाण पत्र है		
वाहन के सभी नामित ड्राइवरों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हैं		
डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन के लिए नियुक्त सभी कर्मचारियों के पास पंजीकृत चिकित्सक या सरकारी अस्पताल से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (health Certificate) हैं		
डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहन को नीला रंग दिया गया है जिस पर सफेद रंग में Septic Tank waste अंग्रेजी में और 'मलकुंड अपशिष्ट' हिंदी में लिखा है और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।		
सुरक्षा आवश्यकताएँ	हाँ	नही
सभी कर्मचारी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (personal protective gear) से लैस हैं जैसे कि हार्ड हैट (Hard Hat) और कपड़े जो परावर्तक और रासायनिक-स्प्लैश प्रतिरोधक (reflective and chemical splash resistant) है।		
फेस मास्क/रेस्पिरेटर जो धूल, धुएं, सूक्ष्म जीवों आदि से बचाता है		
सुरक्षात्मक हाथ दस्ताने, जूते और सुरक्षा चश्मे (glove, boot, safety goggles)		
आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा किट (first aid kit)		
डिसइंफेक्टेंट और स्पिल्ड सामग्रियों को इकट्ठा करने और साफ करने के लिए बैग		
अन्य सुरक्षा गियर जो लागू है		
अन्य आवश्यकताएं:-	हाँ	नही
सभी कर्मचारियों/श्रमिकों को समय-समय पर प्रशिक्षण (वर्ष में कम से कम एक बार) प्रदान किया जाना है। (उपकरण के उचित उपयोग, स्लज के सुरक्षित संग्रह, परिवहन और निपटान का संचालन, और प्राथमिक चिकित्सा पर)		
सरकारी अस्पताल में कर्मचारियों की आवधिक स्वास्थ्य जांच (वर्ष में कम से कम एक बार) की गई है और सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान में लगे सभी कर्मचारियों के फिटनेस प्रमाण पत्र (Fitness certificate) प्रस्तुत की गई।		

I.अनुबंध C 1 - नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून में सेप्टेज संग्रह, परिवहन और निपटान की लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र

Application form for License to Collect, Transport and Dispose FSS in _Name of ULB

1 Name(s) of the applicant (Mr./Ms.):_____

2 Nationality: (Indian/Others):_____

3 Address of correspondence:_____

4 Address of head Office or Registered Office:_____

5 Contact No.: (O):_____ (M):_____

6 Email ID:_____

7 Details of Vehicles

	Registered no of Vehicles	Type of Vehicle	Model no.	Tank Capacity (liters)	GPS Details	Insurance Valid Upto	Pollution Certificate valid Upto
i							
ii							
iii							
iv							

8 Fitness Certificate of Vehicles Valid Upto:

(i) _____ (ii)_____

(iii)_____ (iv)_____

9 List of attached documents (self attested):

Identity Proof

Registration certificates

Pollution certificates

Address Proof

Fitness certificate

Driving License

certificates of insurance and policy schedules

सेप्टेज परिवहन वाहन का मालिक नोटरीकृत रु.10 ई-स्टांप पर अपने कर्मचारियों की संख्या तथा उनके नाम, पिता का नाम, पता और शैक्षिक योग्यता का विवरण, उनके ड्राइविंग लाइसेंस के प्रति के साथ, देंगे।

पंजीकरण शुल्क का भुगतान CASH/D.D.No ----- के माध्यम से किया गया है।

दिनांक ------- बैंक का नाम---------

मैं/हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे सर्वोतम ज्ञान में यथार्थ है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने 'फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम) उपविधि (नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून), 2022 पढ़ा और समझा है। मैं सहमत हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई गई तो लाइसेंस के लिए आवेदन किसी भी समय रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा।

दिनांक------- संलग्न दस्तावेज की संख्या -----

आवेदकों के हस्ताक्षररू

V. अनुबंध C2- नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून द्वारा जारी डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन के लिये लाइसेंस/पंजीकरण

ULB LOGO	
Municipality Corporation/ Municipality/Town Panchayat of Nagar Palika Parishad Vikasnagar	
LICENSE	
In accordance with all the terms and conditions of the By-laws/ Regulations and any amendments made there under, Municipalities act rules, the special license conditions accompanying this license and applicable rules and laws of Government of Uttarakhand, the permission is hereby granted to:	
Licene Holder's Name:	
Address of Head/Regd Office:	
For the collection, transportaion and disposal (at designated sites/STPs) of feacal sludge and septage from onsite containments in Nagar Palika Parishad Vikasnagar	
License No. :	
Issuing Authority:	
Effective Date:	
Valid upto:	
Details of Vehicles:	
This license shall be subject to the compliance by the license holders of the conditions stated overleaf.	
Signature and Seal of Issuing Authority	

संचालन के नियम और शर्तें -

1. लाइसैंसधारी 'फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम) उपविधि (नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून), 2022' के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

2. लाइसेंसधारी सभी गतिविधियों को इस तरह निष्पादित करेगा ताकि इस्सुइंग अथॉरिटी/ SMC द्वारा जारी किए गए मानकों को प्राप्त कर सकें।

3. लाइसेंसधारी सभी स्थानीय विधानों का अनुपालन करेगा, जो इस लाइसेंस के तहत की जा रही गतिविधियों के लिए समय-समय पर लागू हो सकते हैं।

4. लाइसेंसधारी निर्दिष्ट वाहनों को अच्छी और व्यावहारिक स्थिति में बनाए रखेगा ताकि किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके।

5. लाइसेंसधारी केवल प्रशिक्षित कर्मियों को नियुक्त करेगा और ऐसे सभी कर्मियों को सुरक्षात्मक गियर प्रदान करेगा। कर्मियों को एक ऑनसाइट रोकथाम इकाई (onsite containment unit) में प्रवेश करने और मैन्युअल स्कैवेंजिंग करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। असाधारण स्थितियों में, यह केवल अपेक्षित सावधानियों, सुरक्षा उपकरणों और नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून की अनुमति के साथ किया जा सकता है।

6. यह लाइसेंस किसी भी अन्य सामग्री या तरल पदार्थ या किसी भी प्रकार के औद्योगिक अपशिष्ट के संग्रह और परिवहन के लिए मान्य नही है।

7. इस्सुइंग अथॉरिटी/SMC/नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून इस लाइसेंस की शर्तों को बदलने या इस लाइसेंस की वैधता के दौरान समय-समय पर आगे की शर्तों को लागू करने का अधिकार रखता है।

8. लाइसेंसधारी ऑपरेटर को नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून द्वारा निर्देशित सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान की पर्याप्त और सही रिकॉर्ड बनाए रखना है।

9. लाइसेंसधारी नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून की सभी निगरानी आवश्यकताओं का पालन करेंगे जैसे कि टैंकरों की जीपीएस ट्रैकिंग (GPS Tracking) स्थापित करना। उसके एक्सेस राइट्स (Access Right) अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून या नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून द्वारा अधिसूचित एजेंसी को दिए जाएंगे ताकि वाहन को ट्रैक (Track) किया जा सके।

10. लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एकत्र किए गए सेप्टेज को केवल उन उपचार स्थलों पर ही ले जाया जाएगा जो नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून / SMC द्वारा निर्दिष्ट हैं।

11. FSS का परिवहन, सुरक्षा और दक्षता के लिए और व्यस्त सड़कों और पीक ट्रैफिक से बचने के लिए, पूर्व-निर्धारित मार्गों द्वारा किया जाएगा।

12. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि एकत्र किए गए सेप्टेज को किसी भी जल निकाय या किसी भी अनधिकृत भूमि में नहीं डाला जाए।

13. लाइसेंसधारी लाइसेंस-प्राप्त गतिविधियों के लिए नीचे दी गई फीस और शुल्क लगाएगाः-

क्र.सं.	गतिविधि	शुल्क

VII. अनुबंध E -नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून में FSS के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

(नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून) में फीकल स्लज और सेप्टेज (FSS) के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड			
दिनांकः		समयः	
1. ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम (FSSM) के स्वामी का विवरण			
नाम		पताः	
संपर्क नंबरः		स्थापना का प्रकारः	
2. OSS सिस्टम का विवरण			
निर्माण का वर्ष		पिछली डीस्लजिंग (दिनांक)	
आउटलेट (Outlet) मौजूद है (हां / नहीं)		यदि हाँ, तो इस से जुड़ा	
कन्टैन्मेंट (Containment)का आकार	परत(हां/नहीं)	दीवारें तलः	
कक्षों की संख्या	प्रत्येक बाफिल वाल (Baffle Wall) में छिद्र की संख्याः		
आयाम (मीटर में)	लंबाईः	चैड़ाई	गहराई
	व्यासः	गहराईः	
GPS कोऑर्डिनेट	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	
संपत्ति के भीतर कन्टैन्मेंट का स्थान			
3. डीस्लजिंग (Desludging)			
FSS की मात्रा (क्यूबिक मीटर में)		डीस्लजिंग में समय (घंटे में)	
यात्रा की लंबाई (कि.मी.में)		आने-जाने में समय (घंटे में)	
4. डीस्लजिंग सेवा प्रदाता का विवरण			
ऑपरेटर का नाम	वाहन पंजीकरण नंबर	(नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून) लाइसेंस नंबर	
5. हस्ताक्षर			
ड्यूटी पर कर्मचारी	ऑपरेटर	OSS स्वामी	
6. निर्दिष्टसाइट / उपचारकेंद्रपरनिपटान			
समय (hh:mm):		FSS की मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	
सेप्टेज परिवहन कर्मचारियों का नाम		STP/FSTP ऑपरेटर का नाम	
7. हस्ताक्षर			
ड्यूटी पर सेप्टेज परिवहन कर्मचारी	वाहन मालिक	STP/FSTP ऑपरेटर	नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून अधिकारी

VII. अनुबंध E- नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून में डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन सेवाओं के लिये उपभोक्ता शुल्क की सूची-

S.NO.	वर्ग	रुपये में शुल्क (प्रति चक्कर 3000 लीटर तक)	सेप्टिक टैंक को खाली करने के लिए अंतराल
1.	Kuccha house/Hut	1000	2-3 वर्ष
2.	Tin Shed type house	1500	2-3 वर्ष

3.	All other house (Pucca House)	2500	2-3 वर्ष
4.	Shop	1500	2-3 वर्ष
5.	All govt./Private offices	2000	2-3 वर्ष
6.	Bank	3500	2-3 वर्ष
7.	Community Toilet/Public Toilet	3000	2–3 वर्ष
8.	Restaurant	2000	2–3 वर्ष
9.	Hotel/Guest House 01 to 10 Rooms	3500	2–3 वर्ष
10.	Hotel Guest House 11 to 20 Rooms	4000	2–3 वर्ष
11.	Hotel/Guest House above 20 Rooms	5000	2–3 वर्ष
12.	Dharamshala 01 to 25 Rooms	3500	2–3 वर्ष
13.	Dharamshala above 25 Rooms	5000	2–3 वर्ष
14.	3-Star Hotel	5000	2–3 वर्ष
15.	5-Star Hotel	10000	2–3 वर्ष
16.	Govt. school/college(up to 1000 students)	2000	2–3 वर्ष
17.	Govt. school/college (above 1000 students)	2200	2–3 वर्ष
18.	Private school/college(up to 1000 students½	4000	2–3 वर्ष
19.	Private school/college \(up to 1000 students)	6000	2–3 वर्ष
20.	2-wheeler vehicle showroom (without service centre)	2000	2–3 वर्ष
21.	2-wheeler vehicle showroom (with service centre)	2500	2–3 वर्ष
22.	4-wheeler vehicle showroom (without service centre)	2500	2–3 वर्ष
23.	4-wheeler vehicle showroom (with service centre)	3000	2–3 वर्ष
24.	Multiplex	5000	2–3 वर्ष
25.	Hostel 01 to 10 Rooms	2500	2–3 वर्ष
26.	Hostel 11 to 20 Rooms	3500	2–3 वर्ष
27.	Hostel 21 to 50 Rooms	4000	2–3 वर्ष
28.	Hostel above 50 Rooms	5000	2–3 वर्ष
29.	Marriage hall/Banquet hall	5000	2–3 वर्ष
30.	Bar	3500	2–3 वर्ष
31.	Govt. Hospital ¾upto 20 Beds½	3000	2–3 वर्ष
32.	Govt. Hospital (above 20 Beds)	3500	2–3 वर्ष
33.	Nursing home/Clinic (upto 20 Beds)	3000	2–3 वर्ष
34.	Nursing home/Clinic (above 20 Beds)	3500	2–3 वर्ष
35.	Pathological lab	3000	2–3 वर्ष
36.	Private Hospital upto 20 beds	3500	2–3 वर्ष
37.	Private Hospital 21-50 beds	4000	2–3 वर्ष
38.	Private Hospital above 50 beds	5000	2–3 वर्ष
39.	Rice mill/Other mill	3500	2–3 वर्ष
40.	Any Industry In SIDCUL Area	5000	2–3 वर्ष
41.	Any Industry outside SIDCUL Area	5000	2–3 वर्ष
42.	ANY OTHER TYPE??	3000	2–3 वर्ष

नोटरू उपभोक्ता शुल्क संशोधन के अधीन होगा (SMC द्वारा तय की जाने वाली अवधि और दर पर)

VIII. अनुबंध F- Fines and Penalty

S.NO.	प्रकार	उपविधि (भाग संख्या)	सांकेतिक जुर्माना (Rs. में)	कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई
1.	नाली/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा या असुरक्षित निर्वहन	6.1.3	2500	
1.1.	दूसरी बार उल्लंघन		5000	
1.2.	तीसरी बार उल्लंघन और आगे			03 महीने के लिए परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण
2.	OSS का अवैज्ञानिक डिजाइन और निर्माण	5.1.1	3000	
2.1.	दूसरी बार उल्लंघन		3500	
2.2.	तीसरी बार उल्लंघन और आगे			आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 03 माह के लिए परमिट को स्थगित करना/परमिट का निरस्तीकरण के लिए स्थगित करना।
3.	बिना नगरपालिका परिशद से पंजीकरण के डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहनों का संचालन	6.1.1	1000	
3.1.	दूसरी बार उल्लंघन		2000	
3.2.	तीसरी बार उल्लंघन और आगे			आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 03 माह के लिए परमिट को स्थगित करना/परमिट का निरस्तीकरण के लिए स्थगित करना।
4.	ट्रैफ़िक नियमों में अनुशंसित वैध प्रमाणीकरण के बिना डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहनों का संचालन	6.2.1	5000	

4.1.	दूसरी बार उल्लंघन		10000	
4.2.	तीसरी बार उल्लंघन और आगे			आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 03 माह के लिए परमिट को स्थगित करना/परमिट का निरस्तीकरण के लिए स्थगित करना।
5.	आकस्मिक रिसाव को नियंत्रित करने में गैर-अनुपालन	6.2	1000	
5.1.	दूसरी बार उल्लंघन		06 माह के लिए परमिट को स्थगित करना	
5.2.	तीसरी बार उल्लंघन और आगे			आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 03 माह के लिए परमिट को स्थगित करना/परमिट का निरस्तीकरण के लिए स्थगित करना।
6.	FSTP/ STP सेअनुपचारित FSS का निर्वहन	6	1000	
6.1.	दूसरी बार उल्लंघन		15000	
6.2.	तीसरी बारउल्लंघन और आगे			परमिट निरस्त
7.	नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून /SMC द्वारा सूचित किए गए स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर अनुपचारित FSS का निर्वहन	7.3	2500	
7.1.	दूसरी बार उल्लंघन		3000	
7.2.	तीसरी बार उल्लंघन और आगे		5000	परमिट निरस्त

I. अनुबंध G-ऑनसाइट स्वच्छता रोकथाम इकाई (Onsite Sanitation Containment Unit) का निर्माण विवरण-

यह अनुबंध एक साधारण सेप्टिक टैंक के डिजाइन और निर्माण के विवरण की समझ देना है देता है, जो कि फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) में उपयोग किए जाने वाले कई प्रकार के ऑनसाइट स्वच्छता रोकथाम इकाई में से एक है।

यहां दिए गए विवरण गृह और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार (MOHUA) और केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (CPHEEO) द्वारा "मैनुअल ऑनसीवरेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम्स", 2013 से तैयार किए गए हैं। (http: / / cpheeo.gov.in/cms/manual-on-sewerage-and-sewage-treatment.php)

इस मैनुअल के भाग I- अध्याय 9 का शीर्षक श्ऑन-साइट सैनिटेशनश्-सेप्टिक टैंक के निर्माण, संचालन और रखरखाव के विवरण के लिए संदर्भित किया जा सकता है।

(http://cpheeo.gov.in/upload/uploadfiles/files/engineering-chapter9.pdf)

I. सेप्टिक टैंक क्या है?

सेप्टिक टैंक एक संयुक्त अवसादन और पाचन टैंक (combined sedimentation and digestion tank) है जहां सीवेज एक से दो दिनो के लिए आयोजित किया जाता है। यहां, निलंबित ठोस टैंक के नीचे तक बस जाते हैं और एनारोबिक पाचन से गुजरते हैं। यह स्लज की मात्रा और जैव-निम्नीकरणीय कार्बनिक पदार्थों में कमी के साथ-साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसों की रिहाई का कारण बनता है।

सेप्टिक टैंक से बहने वाले अपशिष्ट जल आगे के उपचार की आवश्यकता होती है, और एक उचित सीवरेज सिस्टम में निपटान किया जाना चाहिए ।

सेप्टिक टैंक केवल व्यक्तिगत घरों और छोटे समुदायों और संस्थानों के लिए अनुशंसित हैं, जिनकी आबादी 300 से अधिक नहीं है।

II. सेप्टिक टैंक का डिजाइन

सेप्टिक टैंक को पर्याप्त मात्रा में डिजाइन किया जाना चाहिए, और उचित इनलेट और आउटलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। वे आमतौर पर आकार में आयताकार होते हैं और या तो एक सिंगल टैंक या एक डबल टैंक हो सकते हैं। जहां डबल टैंक होता है, पहला कंपार्टमेंट आमतौर पर दूसरे के आकार से दो गुना होता है। तरल की गहराई 1-2 मीटर है और लंबाई से चैड़ाई का अनुपात 2-3 से 1. है। (चित्र A1 देखें)

सेप्टिक टैंक का मुख्य उद्देश्य यह है कि टॉयलेट अपशिष्ट का ठोस हिस्सा तल पर बस जाए और सतह पर मैल (scum) जमा हो जाए। इन दो परतों (स्लज और मैल, sludge and scum) के बीच पर्याप्त अंतर होना चाहिए ताकि केवल सीवेज बहता है। इसलिए, सेप्टिक टैंक को टॉयलेट अपशिष्ट के लिए स्थिर स्थिति (stilling conditions) प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि निलंबित ठोस वस्तु (suspended solids को व्यवस्थित किया जा सके। स्लज और मैल के संचय के लिए आवश्यक मात्रा की गणना करके, टॉयलेट अपशिष्ट सेप्टिक को 24 से 48 घंटे का अवधारण समय के लिए टैंक का डिज़ाइन किया जाना चाहिए।

सेप्टिक टैंक को नियमित रूप से खाली किया जाना चाहिए। (1-3 वर्षों में एक बार) व्यक्तिगत घरों (20 उपयोगकर्ताओं तक) और आवास कालोनियों (300 उपयोगकर्ताओं तक) के लिए सेप्टिक टैंकों के अनुशंसित आकार क्रमशःटेबल A-1 और A-2 में नीचे दिए गए हैं।

टेबल A-1: 20 उपयोगकर्ताओं तक सेप्टिक टैंक के अनुशंसित आकार

उपयोगकर्ताओं की संख्या	लंबाई (m)	चैड़ाई (m)	सफाई अंतराल के संबंध में तरल गहराई (m)	
			2 साल	3 साल
5	1.5	0.75	1.0	1.05
10	2.0	0.90	1.0	1.40
15	2.0	0.90	1.3	2.00
20	2.0	1.10	1.3	1.80

नोट:

a) यहा सिफारिश की गई क्षमताएं इस धारणा पर हैं कि सेप्टिक टैंक में केवल शौचालय अपशिष्ट का उपचार किया जाएगा। अन्य सभी अपशिष्ट जैसे कि रसोई का कचरा पानी, नहाने का पानी, सिंक से पानी का निकास, आदि को सीधे सीवेज सिस्टम में डाला जाएगा।

b) सेप्टिक टैंक के डिजाइन में कम से कम 300 मि.मी. (mm) का एक फ्री बोर्ड (Freeboard) शामिल होना चाहिए।

c) सेप्टिक टैंक का आकार IS:2470 (Part 1) से अनुमानित पीक डिस्चार्ज की मान्यताओं पर आधारित है और सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जाएगी।

Table A- 2रू0 300 उपयोगकर्ताओं तक की आवासीय कॉलोनी के लिए सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार

उपयोगकर्ताओं की संख्या	लंबाई (m)	चैड़ाई (m)	सफाई अंतराल के संबंध में तरल गहराई (m)	
			2 साल	3 साल
50	5.0	2.00	1.0	1.24
100	7.5	2.65	1.0	1.24
150	10.0	3.00	1.0	1.24
200	12.0	3.30	1.0	1.24
300	15.0	4.00	1.0	1.24

नोट:

a) सेप्टिक टैंक के डिजाइन में कम से कम 300 मि.मी. (उउ) का एक फ्री बोर्ड (तिममइचंतक) शामिल होना चाहिए।

b) सेप्टिक टैंक का आकार प्ैरू2470 (चंतज 1)से अनुमानित पीक डिस्चार्ज की मान्यताओं पर आधारित है और सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जाएगी।

c) 100 से अधिक की आबादी के लिए, टैंक को, रखरखाव और सफाई के लिए, स्वतंत्र समानांतर कक्षों में विभाजित किया जा सकता है।

III. निर्माण विवरण

सेप्टिक टैंक का निर्माण करते समय निम्नलिखित विवरणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:-

- सेप्टिक टैंकों का निर्माण ईंट के काम, पत्थर की चिनाईया कंक्रीट के इन-सीटू या प्री-कास्ट सामग्रियों में किया जा सकता है। एस्बेस्टस सीमेंट/एचडीपीई (HDPE) जैसी सामग्रियों से बने प्री-कास्ट टैंक का भी

इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते वे पनरोक हो और स्थिर धरती (Static earth) और सुपरिम्पोज्ड लोड (Superimposed Loads) को संभालने और स्थापित करने में पर्याप्त ताकत रखते हों

- सभी सेप्टिक टैंक पर्याप्त शक्ति के पनरोक कवर के साथ प्रदान किए जाएंगे। टैंक के निरीक्षण और खाली करने के लिए पर्याप्त एक्सेस मैनहोल (न्यूनतम दो, अधिक लंबी दिशा की विपरीत छोरों पर एक-एक) भी प्रदान किए जाएंगे।
- टैंक का फर्श सीमेंट कंक्रीट का होना चाहिए और स्लज आउटलेट की ओर ढलान वाला होना चाहिए। सतहों को चिकना करने और उन्हें पनरोक करने के लिए फर्श और साइड की दीवार दोनों को सीमेंट मोर्टार से प्लास्टर किया जाएगा।
- टैंक के इनलेटऔर आउटलेट को एक-दूसरे से यथा संभव दूर और विभिन्न स्तरों पर स्थित होना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें उन स्तरों पर स्थित नहीं होना चाहिए जहां स्लज या मैल (Sludge or scum) का निर्माण होता है।
- आउटलेट पाइप के इनवर्ट को इनलेट पाइप के इनवर्ट के स्तर से 5-7cm के नीचे रखा जाना चाहिए।
- इनलेट और आउटलेट दोनों पर बाफ़ल उपलब्ध कराया जाना चाहिए और 25 cm से 30cm तरल में डुबना चाहिए और तरल से 15 cm ऊपर रहना चाहिए। बफल्स को सीधे इनलेट पाइप के मुंह से टैंक की लंबाई के एक-पांचवें हिस्से की दूरी पर रखा जाना चाहिए।
- बड़ी क्षमताओं के लिए, इनलेट से टैंक की लंबाई की दो-तिहाई की दूरी पर विभाजन-दीवार के साथ निर्मित दो-कम्पार्टमेंट टैंक उचित होगा। ये दो कम्पार्टमेंट को स्लज भंडारण स्तर से ऊपर परस्पर जुड़ा होना चाहिए, पाइप या चैकोर उद्घाटन के माध्यम से, जिसका व्यास या साइड लंबाई 75 cm से कम नहीं है।
- प्रत्येक सेप्टिक टैंक को वेंटिलेशन पाइप के साथ प्रदान किया जाना चाहिए, शीर्ष एक उपयुक्त मच्छर प्रूफ वायर मेष के साथ कवर किया जा रहा है। पाइप की ऊंचाई 20 मीटर के दायरे में उच्चतम इमारत के शीर्ष से कम से कम 2 मीटर ऊपर होनी चाहिए।

बी0एल0 आर्य,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून।

विनोद कुमार,
प्रशासक,
नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून।

कार्यालय नगर पंचायत सेलाकुई (से0हो0टा0) जिला–देहरादून

उपविधि

19 अक्टूबर, 2022 ई0

पत्रांक 410/गजट–प्र0/2022–23–नगर पंचायत सेलाकुई जिला–देहरादून सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम–1916 की धारा–298 (उत्तराखंड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा–2 खण्ड–(ज)(च) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत सेलाकुई जिला–देहरादून द्वारा **नगरपालिका अधिनियम–1916 की धारा–128 कि उपधारा–1(ii) (iii)** एवं धारा–294 के तहत विभिन्न व्यापार और आजीविका पर लाइसेंस शुल्क आरोपित करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–2399/नौ–9–94–204(जरनल)/90 दिनांक 27.10.1994 के अनुसार विभिन्न व्यवसायों हेतु बनाई गयी **"व्यवसायिक लाइसेंस एवं शुल्क वसूली उपविधि–2022"** नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत आपत्ति एवं सुझाव हेतु समाचार पत्र दैनिक हिन्दुस्तान के अंक दिनाक 28.08.2022 में प्रकाशन किया गया है, परन्तु नियत अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुआ है।

अतः अब प्रशासक नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून द्वारा नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा-301(2) के अन्तर्गत **"व्यवसायिक लाइसेंस एवं शुल्क वसूली उपविधि-2022"** उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशित करने की स्वीकृति दी गयी है, यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

"व्यवसायिक लाइसेंस एवं शुल्क वसूली उपविधि-2022"

1- **संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ:-**

(क) यह उपविधि नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून "व्यवसायिक लाइसेंस एवं शुल्क वसूली उपविधि-2022" कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(ग) यह उपविधि नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(घ) यह उपविधि उत्तराखण्ड गजट में प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व में सरकारी गजट उत्तराखण्ड दिनाक 03 फरवरी 2018 में प्रकाशित "यवसायिक लाइसेन्स नियमावली 2017" निष्प्रभावी हो जायेगी।

2- **परिभाषाएँ-**

किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-

(क) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून से है।

(ख) "सीमा" का तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून की सीमा से है।

(ग) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून से है।

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ङ) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों से है।

(च) "अधिनियम" का तात्पर्य उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखंड में यथा प्रवृत्त) संशोधन एवं उपांतरण आदेश-2002 से है।

(छ) "लाइसेंस" का तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून की सीमांतर्गत किये जाने वाले विभिन्न व्यापार और आजीविका के लाइसेंस दिये जाने एवं उनसे निर्धारित शुल्क वसूली से हैं।

(ज) "ट्रैड लाइसेंस" का तात्पर्य अधिसूचना संख्या 1334/IV (2)-श०वि०-2020-17(सा०)/20 दिनांक 10.12.2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड नगर पालिका एवं नगर पंचायत परिष्करण उपविधि 2020 से हैं।

(झ) "अवधि" का तात्पर्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा(1 अप्रैल से 31 मार्च) 1 वर्ष के लिये तक दिये जाने वाले व्यावसायिक लाइसेंस से हैं।

3- लाइसेंस- आवेदक द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ दो फोटो(पासपोर्ट साइज) खींची होनी तथा आवेदन में व्यवसाय का मद एवं विवरण भी देना होगा।

4- प्राप्त आवेदन पत्र पर नगर पंचायत द्वारा समुचित विचारोपरांत 15 दिवस के अंदर शुल्क लेकर लाइसेंस दिये जाने का निर्णय लिया जायेगा, जिसकी सूचना आवेदक को दी जायेगी।

5- सूची में वर्णित व्यावसायिक लाइसेंस 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के बीच व्यवसायों द्वारा प्रत्येक दशा में बनाया जाना अनिवार्य होगा। इस लाइसेंस की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च(एक वित्तीय वर्ष) तक वैध होगी अन्यथा स्थिति में विलम्ब शुल्क जो 10 प्रतिशत लाइसेंस अधिकारी द्वारा निर्धारित करते हुये वसूल किया जायेगा।

6- लाइसेंस जारी करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

7- जांचकर्ता के जांच के समय व्यवसाय के सम्बंधित सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आवेदनकर्ता का होगा।

8- लाइसेंस अधिकारी स्वयं अथवा अपनी एजेंसी, अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जांच का कार्य सम्पादित करा सकता हैं, जो नगर पंचायत के कर निरीक्षक स्तर से कम नहीं होगा।

9- लाइसेंस धारक अपना व्यवसाय बदलता है तो उसकी सूचना अनिवार्य रूप से एक माह के अंदर नगर पंचायत में अपने पुराने लाइसेंस विवरण के साथ लिखित रूप में उपलब्ध करा देगा।

10- उक्त सूची में वर्णित लाइसेंसों के नियमों का उल्लंघन होने की दशा में लाइसेंस अधिकारी जनहित में किसी भी समय लाइसेंस निरस्त कर सकता हैं। लाइसेंस अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करता हैं तो उस अपील की सुनवाई का अधिकार अध्यक्ष, नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून में निहित होगा।

11- व्यावसायिक लाइसेंस की दरें प्रतिवर्ष निम्नवत होगी, जो व्यापारी/व्यक्ति लाइसेंस नहीं बनाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बकाया लाइसेंस की धनराशि की वसूली 10 प्रतिशत सर-चार्ज सहित भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र (आर० सी०) जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी।

व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क की दरें

क्र0 सं0	मद का नाम	लाइसेंस शुल्क की प्रस्तावित दर वार्षिक
1	2	3
1	होटल लाजिंग/ गेस्ट हाउस/आश्रम 10 शैया तक	2500.00
2	होटल लाजिंग/ गेस्ट हाउस/आश्रम 11 से 20 शैया तक	5000.00
3	तीन सितारा होटल अथवा बिना स्टार 20 शैया से 30 शैया तक	10000.00
4	उपरोक्त 31 शैया से 40 शैया तक	15000.00
5	उपरोक्त 41 शैया से 50 शैया तक	20000.00
6	उपरोक्त 50 शैया से ऊपर	25000.00
7	तीन सितारा होटल	30000.00
8	पांच सितारा होटल	50000.00
9	रेस्टोरेंट उच्च श्रेणी	7000.00
10	रेस्टोरेंट मध्यम श्रेणी	5000.00
11	रेस्टोरेंट सामान्य श्रेणी	3000.00
12	घोड़ा तांगा/ई-रिक्षा	500.00
13	रिक्शा किराये पर	300.00
14	रिक्शा(निजी चालित)	200.00
15	ठेला/ठेली	300.00
16	हाथ ठेली	250.00
17	बैलगाडी/भैंसागाडी	200.00
18	ट्रेक्टर ट्रॉली/छोटा हाथी	500.00
19	अन्य चार पहियों के वाहन(व्यावसायिक प्रयोग हेतु सभी वाहन)	500.00
20	मोटर गैराज	2500.00
21	स्कूटर गैराज/रिपेयर शॉप	2000.00
22	मोटर वाहन एजेंसी(सेल्स/सर्विस)	5000.00
23	स्कूटर एजेंसी(दो पहिया/तीन पहिया)	2000.00
24	साइकिल की दुकान	1000.00
25	पेट्रोल/डीजल पम्प थोक विक्रेता कम्पनी	20000.00
26	पेट्रोल/डीजल पम्प फुटकर विक्रेता	5000.00
27	जनरेटर, डीजल/पेट्रोल	2000.00
28	दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन	2000.00
29	नर्सिंग होम/अस्पताल	5000.00

1	2	3
30	क्लीनिक	500.00
31	मेडिकल स्टोर	1000.00
32	कृषि यन्त्र, दवाइयाँ एवं फर्टीलाइजर	1000.00
33	धुलाई गृह (लान्ड्री)	1000.00
34	ड्राई क्लीनर	2000.00
35	फाइनेंस कम्पनी, चिट फंड	10000.00
36	इन्सोरेन्स कम्पनी, प्रतिशाखा	10000.00
37	फाउंडिग इंजीनियरिंग इंड्स्टियल	2000.00
38	सिडकुल व उद्योग विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत बडी औद्योगिक ईकाई	10000.00
39	सिडकुल व उद्योग विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत छोटी औद्योगिक ईकाई	5000.00
40	आईस फैक्ट्री तथा कोल्ड ड्रिक्स सोडा ऐस्टेड वाटर फैक्ट्री	2000.00
41	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	2000.00
42	आटा चक्की	2000.00
43	गूढड/गुड गोदाम	2000.00
44	कंकड तथा सुर्खी की भट्टी	2000.00
45	चूना	2000.00
46	ईट का भट्टा	10000.00
47	साबुन फैक्ट्री	2000.00
48	लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेंट, ईटा बालू (थोक मोरंग, मारवल, टाईल्स,सेनेटरी, हार्डवेयर)	5000.00
49	फूट्कर बिजली के सामान के विक्रेता	500.00
50	कपड़ा, थोक विक्रेता	1000.00
51	कैटरिंग	1000.00
52	बेकरी(भट्ठी)	2000.00
53	बेकरी(पॉवर)	1500.00
54	हेयर कटिंग सैलून	300.00
55	ब्यूटी पार्लर	2000.00
56	कुकिंग गैस एजेंसी	2000.00
57	जनरल मर्चेन्ट थोक	500.00
58	टेलरिंग हाउस (5 से अधिक कर्मचारी)	500.00
59	टेलरिंग हाउस (5 कर्मचारी तक)	300.00
60	कोयला (थोक विक्रेता)	500.00

1	2	3
61	कोयला (फुटकर विक्रेता)	200.00
62	पेंट की दुकान	1000.00
63	ज्वैलर्स (बडे) 5लाख से ऊपर टर्नओवर	5000.00
64	ज्वैलर्स (छोटे) 5लाख तक टर्नओवर	2000.00
65	विज्ञापन एजेंसी	3000.00
66	डेयरी (दूध,पनीर, दही एवं दूध से बनीं अन्य पदार्थ)	2000.00
67	भूसा (थोक विक्रेता)	2000.00
68	भूसा (फुटकर विक्रेता)	500.00
69	ऑडियो /विडियो लाइब्रेरी	500.00
70	मोबाईल विक्रेता/विभिन्न मोबाईल कम्पनीयो के रिचार्ज एवं मरम्मत की दुकान	500.00
71	केबिल टी0वी0	10000.00
72	आर्किटेक्ट, कंसलटेन्ट विधि चार्टेड एकाउंटेंट, फास्ट एकाउंटेंट	2000.00
73	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड, खण्डसारी (थोक विक्रेता)	500.00
74	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड, खण्डसारी (फुटकर विक्रेता)	500.00
75	आईस फैक्ट्री	500.00
76	टैंट हाउस	2000.00
77	टूर एण्ड ट्रैवल्स	2000.00
78	साईबर कैफे (नेट सेवा प्रदाता)	2000.00
79	मसाज केंद्र/आयुर्वेदिक/प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र	2000.00
80	संगीत कला केंद्र	1000.00
81	अंग्रेजी शराब की दुकान	25000.00
82	देशी शराब की दुकान	15000.00
83	पान की दुकान	200.00
84	चाय की दुकान	300.00
85	जनरल मर्चेंट की दुकान (फुटकर)	500.00
86	किताबों की थोक दुकान	1000.00
87	किताबों की फुटकर दुकान	500.00
88	न्यूज पेपर	200.00
89	लकडी के टाल की दुकान (थोक विक्रेता)	2000.00
90	लकडी के टाल की दुकान (फुटकर विक्रेता)	500.00
91	टिम्बर मर्चेंट	5000.00
92	रेडियो/मैकेनिक/टी0वी0 मरम्मत	500.00
93	टी0वी0 शॉप/ इलेक्ट्रोनिक वस्तुए	2000.00

1	2	3
94	फर्टिलाईजर शॉप	2000.00
95	मिठाई की दुकान	5000.00
96	चाट/बताशे की दुकान	1000.00
97	ड्राई फ्रुट विक्रेता (थोक विक्रेता)	1000.00
98	ड्राई फ्रुट विक्रेता (फुटकर विक्रेता)	500.00
99	गैस फिलिंग प्लांट	2000.00
100	सब्जी की दुकान और फल की दुकान	1000.00
101	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	1000.00
102	मसाले थोक विक्रेता	2000.00
103	फर्नीचर की दुकान (शोरूम)	2000.00
104	फर्नीचर विक्रेता	2000.00
105	क्रॉकरी विक्रेता	2000.00
106	चूड़ी विक्रेता	500.00
107	मिट्टी के तेल की दुकान	500.00
108	प्रति पशु	
	1- कुत्ता	100.00
	2- गाय/भैंस	20.00
	3- अन्य पशु	10.00

शास्ति

उपरोक्त उपनियम का उल्लंघन नगरपालिका अधिनियम-1916 की धारा-29 की उपधारा (1) के अंतर्गत दण्डनीय होगा जो रु0 1000.00 रुपया तक ही हो सकता हैं। उपनियम का उल्लंघन निरंतर जारी रहने पर अग्रेतर जुर्माना लिया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें व्यवसायी द्वारा निरंतर अपराध करते रहना सिद्ध हो जाता हैं मूल्य रू0 25.00 प्रतिदिन तक हो सकता है। यह अधिकार, नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून में अंतिम रूप में निहित होगा।

बी0एल0 आर्य,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून।

विनोद कुमार,
प्रशासक.
नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून।

कार्यालय नगर पंचायत सेलाकुई (से0हो0टा0) जिला–देहरादून

उपविधि

19 अक्टूबर, 2022 ई0

पत्रांक 410/गजट–प्र0/2022–23–नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून की उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम–1916) (संशोधन) विधेयक 2021 की धारा–298 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका अधिनियम–1916 की धारा–128(1) के अन्तर्गत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर सम्पत्तिकर आरोपित करने के उद्देश्य से नगरपालिका अधिनियम–1916 की धारा–140, 141(क), 141(ख) एवं धारा–144 के तहत सम्पत्तिकर निर्धारण एवं वसूली हेतु नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून के लिए बनाई गयी **"सम्पत्तिकर उपविधि–2022"** नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत आपत्ति एवं सुझाव हेतु समाचार पत्र दैनिक हिन्दुस्तान के अंक दिनाक 28.08.2022 में प्रकाशन किया गया है, परन्तु नियत अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुआ है।

अतः अब प्रशासक नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून द्वारा नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा-301(2) के अन्तर्गत "सम्पत्तिकर उपविधि-2022" उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशित करने की स्वीकृति दी गयी है, यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

सम्पत्तिकर उपविधि-2022

1- संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ:-

(क) यह उपविधि नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून "सम्पत्तिकर उपविधि-2022" कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(ग) यह उपविधि नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2- परिभाषाएँ-

किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-

(क) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून से है।

(ख) "सीमा" का तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून की सीमा से है।

(ग) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून से है।

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ङ) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्य अथवा प्रशासक से है।

(च) "अधिनियम" का तात्पर्य उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखंड में यथा प्रवृत्त) से है।

(छ) "वार्षिक मूल्यांकन" का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम-1916 की धारा-140 व धारा-141 के अंतर्गत वार्षिक मूल्य पर कर से है।

(ज) "सम्पत्तिकर" का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम-1916 की धारा-128 के अंतर्गत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर से है।

(झ) "समिति" का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम-1916 की धारा-104 के अंतर्गत गठित समिति से हैं।

(ञ) "भवन एवं भूमि" का तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून की सीमांतर्गत निर्मित भवन एवं भूमि से हैं।

(ट) "स्वामी" का तात्पर्य भवन एवं भूमि के स्वामी से हैं।

(ठ) "अध्यासी" क तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून सीमांतर्गत निर्मित भवन एवं भूमि पर किराये में रहने वाले व्यक्तियों से हैं।

3- वार्षिक मूल्यांकन- नगर पंचायत सीमांतर्गत स्थित भूमि एवं निर्मित भवन पर सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु नगरपालिका अधिनियम-1916 की धारा- 141(2) के अंतर्गत कर निर्धारण के प्रयोजन के लिये नगर पंचायत द्वारा समय-समय पर पारिश्रमिक सहित या रहित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को चाहे वे सदस्य हो या न हो अथवा संस्था/एजेंसी नियुक्त किया गया या किये गये व्यक्ति/संस्था/एजेंसी ऐसे प्रयोजन के लिये किसी सम्बद्ध सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते है। सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु निम्नानुसार वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा।

(क) रेलवे, स्टेशनों, कॉलेजों, स्कूलों, होटलों, औद्योगिक इकाईयों, शक्षिणिक संस्थान, वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावासीय भवनों की दशा में भवन नव-निर्माण कि वर्तमान अनुमानित लागत लो०नि०वि० के प्रचलित सैड्यल रेट और उससे अनुलग्न भूमि की अनुमानित मूल्य तत्समय प्रचलित सर्किल रेट जोडकर निकाली गयी धनराशि का 5 प्रतिशत से अनाधिक पर वार्षिक मूल्यांकन का आंकलन किया जायेगा।

(ख) खंड (क) के उपबंधो के अंतर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि कि दशा में यथा स्थिति भवन की दशा में प्रतिवर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर या भूमि कि दशा में प्रतिवर्ग फुट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा किये जाने पर आए 12 गुना मूल्य से हैं और इस प्रयोजन के लिये प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दर पर इस प्रकार होगी जैसे कि नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि कि अवस्थिति, भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 के प्रयोजन के लिये कलैक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के आधार पर बोर्ड/प्रशासक द्वारा तय किया गया जाये और ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्रफल में चालू न्यूनतम दर और अन्य कारक इस प्रकार होगे जैसे मिहित किये जाये।

(ग) खंड (क) (ख) के अंतर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि कि दशा में यथास्थिति, ऐसे आवासीय एवं अनावासीय (दुकानात) जो किराये पर उठाये गये हो, उनका वार्षिक मूल्यांकन शहर की प्रचलित बाजार दर अथवा उस क्षेत्र के लिए कलैक्टर द्वारा तत्समय किराये हेतु प्रचलित सर्किल रेट से जो भी अधिकतम हो, के अनुसार किराये के भवन के प्रतिवर्ग फिट या मीटर मासिक किराया दर

पर निर्धारण करना होगा और मासिक किराये को 12 गुना पर वार्षिक मूल्यांकन पर निर्धारण हेतु किया जायेगा।

प्रतिबंध यह है कि जहाँ नगर पंचायत की राय में असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी भवन क वार्षिक मूल्य, यदि उपरोक्तानुसार से गणना की गयी हो, अत्यधिक हो, वहाँ नगर पंचायत किसी भी कम धनराशि पर जिसमें एकरूपता, औचित्य और निकाय का हित प्रतीत हो, का वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है।

1- वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिये कारपेट क्षेत्र की गणना निम्नलिखित रूप से की जायेगी-

i. कक्ष-आंतरिक आयाम की पूर्ण माप,

ii. आच्छादित बरामदा-आंतरिक आयाम की पूर्ण माप,

iii. बालकोनी, गलियारा, रसोई घर और भण्डार गृह- आंतरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप,

iv. गैराज- आंतरिक आयाम की एक चौथाई माप,

v. स्नानागार, शौचालय, द्वारमंडप और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल का अंग नहीं माना होगा।

2- उ०प्र० शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम-1972 के प्रयोजन के लिए किसी भवन का मानक किराया, या युक्तियुक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

3- सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु वार्षिक मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक भवन एवं भूमि क मौके पर निरीक्षण करने के उपरांत यथास्थिति के अनुसार किया जायेगा।

4- भूमि/भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर कर- भवन एवं भूमि के वार्षिक मूल्यांकन पर 12.5 प्रतिशत सम्पत्ति कर लिया जायेगा, परंतु निम्नलिखित भवन एवं भूमि अथवा उसके भाग निम्नानुसार कर से मुक्त रहेंगे।

(क) मंदिर, गुरूद्वारा, मस्जिद अथवा दूसरे धार्मिक संस्थाऐ जो सार्वजनिक तथा रजिस्टर्ड ट्रस्ट या संस्था के अधीन हो, परंतु जो स्थान अथवा स्थानों के भाग रहने अथवा किराये पर या अन्य प्रकार से आय अर्जित कि जाती हैं तो उन पर कर की छूट का नियम लागू नहीं होगे।

(ख) अनाथालय, छात्रावास, चिकित्सालय, धर्मशालाएँ तथा इस प्रकार से अन्य भवन तथा भूमि जो इस प्रकार की दान कि संस्थाओं कि सम्पत्तियो और उन्हीं संस्था द्वारा ऐसे कार्य करती हो।

(ग) नगर पंचायत कि समस्त सम्पत्तिया।

5- कर निर्धारण सूचियों का प्रकाशन- भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर सम्पत्तिकर निर्धारण हेतु नगरपालिकाअधिनियम-1916 की धारा-141 के अधीन तैयार कि गयी सूचियों का प्रकाशन जनसामान्य के अवलोकनार्थ एवं निरीक्षण के लिए नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदर्शित कि जायेगी तथा समाचार पत्र में इस आशय की

सूचना प्रकाशित करते हुए अपील करनी होगी कि पंचवर्षीय सम्पत्तिकर का निर्धारण किया जा चुका हैं, जिस किसी व्यक्ति अथवा भवन स्वामी या अध्यासी को कर निर्धारण सूची का अवलोकन एवं निरीक्षण कर सकते हैं, तथा प्रस्तावित कर निर्धारण की सूचना सम्बंधित प्रत्येक भवन स्वामी को 15 दिन के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दी जानी आवश्यक होगी और कर निर्धारण सूचियों में प्राप्त आपत्तियों को मोहल्ले/वार्ड वार क्रम संख्या देते हुए आपत्ति एवं निस्तारण पंजिका में अंकित किया जायेगा।

6- आपत्तियों का निस्तारण- भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन अथवा सम्पत्तिकर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु नगरपालिकाअधिनियम-1916 कि धारा-104 के अंतर्गत गठित समिति अथवा समिति गठित न होने कि स्थिति में अधिशासी अधिकारी को बोर्ड द्वारा नगरपालिकाअधिनियम-1916 कि धारा-112 के अंतर्गत शक्तियों क प्रत्यायोजन करने के उपरांत निम्न प्रकार से किया जायेगा।

i. प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु तिथि एवं समय नियत करते हुए आपत्तिकर्ता को लिखित सूचना करनी होगी,

ii. आपत्तियों के निस्तारण कि स्थिति एवं निर्णय सम्बंधित पत्रावली अथवा आपत्ति निस्तारण पंजिका में जस्टीफिकेशन के साथ दर्ज करनी होगी।

iii. शासनादेश सं० 2054/नौ-9-97-79ज/97 दिनांक 28.06.1997 द्वारा वार्षिक मूल्यांकन एवं कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण दिये गये निर्देशानुसार दी जायेगी।

7- कर निर्धारण सूचियों का अभिप्रमाणीकरण और अभिरक्षा-

(क) अधिशासी अधिकारी या इस निमित प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, नगर पंचायत क्षेत्र या उसके किसी भाग के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करेगा।

(ख) इस प्रकार से अभिप्रमाणित सूची को नगर पंचायत कार्यालय में जमा की जायेगी,

(ग) जैसे ही सम्पूर्ण नगर क्षेत्र की सूची इस प्रकार से जमा कर दी जाये वैसे ही निरीक्षण हेतु खुले होने के लिये सार्वजनिक सूचना द्वारा घोषणा की जायेगी,

(घ) कर निर्धारण सूचियों में उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही होने के उपरांत सम्पत्ति/भवनकर मांग एवं वसूली पंजिका में अंतिम रूप से सूची में दर्ज करते हुए नगरपालिकाअधिनियम-1916 की धारा-166 के अंतर्गत दावों की वसूली हेतु अग्रेतर कार्यवाही शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार करनी होगी।

8- सम्पत्तिकर निर्धारण कि औपचारिक्ताये पूर्ण होने के पश्चात सम्पत्तिकर कि वार्षिक मांग के सापेक्ष प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक सम्पत्ति कर कि धनराशि भवन स्वामी/अध्यासी को पंचायत कार्यालय अथवा निकाय द्वार वसूली हेतु अधिकृत कार्मिक को जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी। यदि सम्पत्तिकर कर कि धनराशि 31 मार्च तक जमा नहीं होती है तो बकाया धनराशि पर प्रतिवर्ष10 प्रतिशत अधिभार देना होगा, अन्यथा बकाया धनराशि अधिभार सहित भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र (आर० सी०) जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी।

9- सम्पत्तिकर की वार्षिक मांग के सापेक्ष प्रत्येक वर्ष में 31 अक्टूबर तक सम्पत्ति/भवन कर की धनराशि एक मुश्त जमा करने पर 10 प्रतिशत कि छूट प्रदान की जायेगी, जो बकाया सम्पत्तिकर के बकायादारो पर लागू नहीं होगी।

10- कोई भी व्यक्ति किसी समय भवनों कि ऐसेसमेंट सूची पर अपना नाम बतौर स्वामी दर्ज करा सकता हैं और जिस समय तक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने क काफी कारण न हो उसका नाम दर्ज कर लिया जावेगा, अस्वीकृति का कारण लिख दिया जायेगा।

11- जब तक इस बात में शक हो कि भवन या भूमि पर कि जिसका नाम स्वामी के रूप में दर्ज किया जाये तो बोर्ड या समिति या वह अधिकारी जिसकी बोर्ड ने उ०प्र० नगरपालिकाअधिनियम-1916 की धारा 143(3) के अधीन अधिकार दिया हो, यह तय करेगा कि किसका नाम स्वामी के तौर पर दर्ज होना चाहिए। इसका निश्चय उस समय तक लागू रहेगा जब तक सक्षम न्यायालय उसको रद्द न कर दे।

12- (1) अगर किसी ऐसे भवन य भूमि के स्वामी होने क अधिकार जिस पर यह कर लागू हो, हस्तांतरित किया जावे तो अधिकार हस्तांतरित करने वाला या जिसको हस्तांतरित किया जावे, वह यदि कोई दस्तावेज न लिखी गयी हो तो अधिकार लेने की तिथि से और लिखी गयी हो तो दस्तावेज लिखे जाने या रजिस्ट्री होने या हस्तांतरित होने की तिथि से तीन माह के अंदर हस्तांतरित होने कि सूचना अध्यक्ष अथवा अधिशासी अधिकारी को देगा।

(2) किसी ऐसे भवन या भूमि का स्वामी जिस पर कर लागू है, की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी या जो जायदाद का स्वामी हो. इसी प्रकार स्वामी होने से तीन माह के अंदर सूचना देगा।

13- (1) सूचना में जिसका विवरण पहले दिया गया, उक्त नियम में उल्लिखित सभी विवरण सफाई से और ठीक तौर से दिये जायेंगे।

14- सम्पत्तिकर निर्धारण सूचियों में संशोधन और परिवर्तन-

नगरपालिका अधिनियम-1916 कि धारा-147 के अंतर्गत अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी भी समय सम्पत्तिकर निर्धारण सूचियों में संशोधन एवं परिवर्तन करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्र निम्नलिखित रूप में निस्तारित किया जायेगा।

(क) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति व ऐसी सम्पत्ति का नाम जिसकी प्रविष्टि होनी आवश्यक थी या किसी ऐसी सम्पत्ति जो कर निर्धारण सूची में अधिप्रमाणीकृत होने के पश्चात कराधान के लिये दाई हो गई हो प्रविष्टि करके, या

(ख) उसमें किसी सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी के नाम के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का नाम जिसने अंतरण द्वारा या अन्य प्रकार से सम्पत्ति का स्वामित्व या अध्यासन का उत्तराधिकार प्राप्त किया हो, प्रतिस्थापित करके, या

(ग) किसी सम्पत्ति के जिसका (जिसका मूल्यांकन या कर निर्धारण गलत हो गया हैं या जिसका मूल्यांकन या निर्धारण कपट, मिथ्या व्यपदेशन या त्रुटि के कारण गलत किया गया हैं) मूल्यांकन या कर निर्धारण में वृद्धि करके, या

(घ) किसी सम्पत्ति का जिसका मूल्य भवन में किये गये परिवर्धन या परिवर्तन के कारण बड गया हो, पुनः मूल्यांकन या पुनः कर निर्धारण करके, या

(ङ) जहाँ वार्षिक मूल्य का, जिस पर कोई कर उद्ग्रहीत किया जाना हो, प्रतिशत (नगरपालिकाया उसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी) द्वारा धारा-136 के उपबंधो के अधीन परिवर्तित कर दिया गया हो, वहाँ प्रत्येक मामले में देय कर की धनराशि में तदनुरूप परिवर्तन करके, या

(च) स्वामी के आवेदन-पत्र देने पर या ऐसे संतोषप्रद साक्ष्य पर कि स्वामी का पता नहीं चल रहा हैं, और कमी करने की आवश्यकता सिद्ध कर दी गयी है, स्वप्रेरणा से किसी ऐसे भवन से जो पूर्णतः या अंशतः तोड दिया गया हैं या नष्ट कर दिया गया हैं, मूल्यांकन में कमी करके, या

(छ) किसी लिपिकीय गणना सम्बंधी या अन्य प्रत्यक्ष भूल को ठीक करके।

प्रतिबंध- यह हैं कि किसी हितबंधी व्यक्ति को ऐसे परिवर्तन की जिसे नगर पंचायत या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी की उपरोक्त खण्ड-क,ख,ग, व घ के अधीन करने का प्रस्ताव करें या उस दिनांक के सम्बन्ध में जब उक्त परिवर्तन किया जायेगा, कम से कम एक मास की नोटिस देगी।

1- नगरपालिका अधिनियम 1916 कि धारा-143 की उपधारा(2) और (3) के उपबंध, जो तदंतर्गत वर्णित आपत्तियों पर लागू होते हैं,यथासम्भव, उपधारा-2 के अधीन की गयी नोटिस के अनुश्रवण की गयी किसी आपत्ति पर धारा-147 की उप्धारा-1 के खण्ड(च) लागू होंगे।

2- अधिनियम की धारा-147 की उपधारा-1 के अधीन किया गया प्रत्येक परिवर्तन धारा-144 के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जायेगा तथा धार-160 के अधीन की गयी अपील के अधीन रहते हुए उस दिनांक से प्रभावी होगा, जब अगली किश्त देय हो।

3- सम्पत्तिकर निर्धारण सूचियों में परिवर्तन हेतु विरासतन, उत्तराधिकारी, मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं बटवारा आदि के लिये परिवर्तन शुल्क रू० 2500.00, आवासीय एवं व्यावसायिक हेतु रू० 5000.00 होगा।

4- सम्पत्तिकर निर्धारण सूचियों में रजिस्टर्ड बैनामा पर अंकित प्रचलित सर्किल रेट की लागत पर 2 प्रतिशत परिवर्तन शुल्क जो उपरोक्त आवासीय के लिये रू० 2500.00 व्यावसायिक के लिये रू० 5000.00 से कम नहीं होगा।

15- उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम-1916 की धारा-151(1) से (5) तक दिये गये प्राविधानो के अंतर्गत अध्यासन के कारण सम्पत्तिकर में तदनुसार बोर्ड की स्वीकृति के उपरान्त छूट प्रदान की जायेगी।

शास्ति

उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम-1916 की धारा-299(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून एतद् द्वारा निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि उल्लंघन करने के लिये अर्थदण्ड रू० 1000.00(रू० एक हजार) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरंतर जारी रहा हो तो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है, जो रू० 100.00(रू० एक सौ) प्रतिदिन तक हो सकता है।

बी0एल0 आर्य,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून।

विनोद कुमार,
प्रशासक,
नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून।

कार्यालय नगर पंचायत सेलाकुई (से0हो0टा0) जिला–देहरादून

उपविधि

19 अक्टूबर, 2022 ई0

पत्रांक 410 / गजट–प्र0 / 2022–23–नगर पंचायत सेलाकुई जिला–देहरादून सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम–1916 की धारा–298 की उपधारा–2 खण्ड–(ज) का (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–128 के तहत विज्ञापन पटों को नियन्त्रित करने एवं विज्ञापन शुल्क वसूली के उद्देश्य से नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून के लिए बनाई गयी "विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि–2022" नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत आपत्ति एवं सुझाव हेतु समाचार पत्र दैनिक जागरण के अंक दिनाक 27.08.2022 में प्रकाशन किया गया है, परन्तु नियत अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुआ है।

अतः अब प्रशासक नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून द्वारा नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा-301(2) के अन्तर्गत "विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि-2022" उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशित करने की स्वीकृति दी गयी है, यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि-2022

1. संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ-

   क- यह उपविधि नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून "विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि-2022" कहलायेगी।

   ख- यह उपविधि नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून की सीमा में प्रवृत्त होगी।

   ग- यह उपविधि नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाऐं-

   किसी विषय या प्रसंग से कोई वाद प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-

   (क) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई (से0हो0टा0) जिला-देहरादून से हैं।

   (ख) "सीमा" का तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई (से0हो0टा0) जिला-देहरादून की सीमाओं से हैं।

   (ग) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून से हैं।

   (घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(इ) ''बोर्ड'' का तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों अथवा प्रशासक से है।

(च) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) संशोधन एवं उपान्तण आदेश-2002 से है।

(छ) ''विज्ञापन'' का तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून की सीमान्तर्गत प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापन पट, होर्डिंग, यूनिपोल, बोर्ड एवं अन्य प्रचार सामग्री से हैं।

3. विज्ञापन पट्ट (होर्डिंग/यूनिपोल) स्थल के अनुसार सड़कों के समानान्तर लगाये जायेंगें, छोटे यूनिपोल पेन्टेड सर्फेस से 2.5 मीटर की दूरी पर 5 × 3 फिट एवं सड़क से 8 फुट ऊंचाई पर होंगें। मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रान्तीय मार्ग पर यूनिपोल के बीच कम से कम 50 मीटर की दूरी होगी।
4. यूनिपोल/होर्डिंग सड़क से समानान्तर लगाये जायेंगें, जिससे यातायात सुगमता से संचालित हो सके एवं होर्डिंग के कारण सड़क दुर्घटना न होने के उद्देश्य से जहां आवश्यकता होगी, वहां से इन यूनिपोल/होर्डिंग को 25 डिग्री के कोण से कम भी किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर सड़क के समानान्तर लगाने के निर्देश भी दिये जा सकते हैं।
5. होर्डिंग/यूनिपोल का अधिकतम साईज 20×10 फिट होगा।
6. होर्डिंग दो लोहे/पाईप के स्तम्भ एवं यूनिपोल लोहे/पाईप के स्तम्भ की संरचना मजबूत व फ्रेम के आकार की होनी चाहिये जिससे आंधी, तूफान आदि से न गिर पायेगी। अतः इनकी संरचना के सम्बन्ध में स्ट्रक्चर इन्जीनियर की रिपोर्ट आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
7. मुख्य चैराहों व मोड़ों पर 25-25 मीटर दूरी तक होर्डिंग/यूनिपोल नहीं लगाये जायेंगें।
8. प्रत्येक होर्डिंग के सम्बन्ध में सड़कवार एक यूनीक कोड नम्बर तय किया जायेगा जिसके विवरण में उस होर्डिंग का आकार प्रकार होर्डिंग विज्ञापन एजेन्सी का नाम लगाने का स्थान, स्वीकृति तिथि, रसीद नम्बर व उस होर्डिंग का सड़क से एंगल भी वर्णित किया जायेगा।
9. नगर पंचायत सीमा में विज्ञापन पट्ट लगाये जाने हेतु विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन पट्ट लगाने से पूर्व नगर पंचायत कार्यालय में पंजीकरण कराया जायेगा। इस प्रकार केवल पंजीकृत एजेन्सियों को ही विज्ञापन पट्ट लगाये जाने की अनुमति दी जायेगी। पंजीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 जनवरी से 31 मार्च तक किया जायेगा।
10. नगर पालिका परिषद डोईवाला में विज्ञापन एजेन्सियों को पंजीकृत किये जाने हेतु प्रथम बार पंजीकरण राशि रू0 20,000.00 पालिका कोष में जमा करानी होगी, तत्पश्चात् पंजीकृत एजेन्सी अगले प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु रू0 5,000.00 की धनराशि नवीनीकरण के रूप में नगर पंचायत कोष में जमा करनी होगी।
11. नगर नगर पंचायत सीमा में लगाये जाने वाले विज्ञापन पट्टों एवं अन्य प्रचार सामग्री आदि का न्यूनतम निर्धारित शुल्क मे प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। विज्ञापन शुल्क हेतु

निर्धारित दरें निम्नवत होगी अथवा निर्धारित दरों के आधार पर विज्ञापन का ठेका सार्वजनिक नीलामी द्वारा भी दिया जा सकता है।

विज्ञापन शुल्क की दरें

क्र0सं0	विवरण	दर (रू0 में)	यूनिट
1.	एन0एच0, प्रान्तीय मार्गों के किनारे स्थित विज्ञापन पट्ट होर्डिंग्स/यूनीपोल।	200.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
2.	नगर पंचायत के मुख्य मार्ग एवं आन्तरिक मोहल्लों के सार्वजनिक स्थलों पर लगने वाले विज्ञापन पट्ट होर्डिंग्स/यूनीपोल	100.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
3.	इन्डीकेटर बोर्ड (आई0एच0पी0) (3×2 फिट) पोल क्योक्स 2 (3×2 फिट)	1000.00	प्रति पोल/प्रतिवर्ष
4.	निजी भवनों पर लगे ग्लोसाइन बोर्ड/विभिन्न कम्पनीयों के उत्पादनों को प्रदर्शित करने वाले बोर्डो पर।	100.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
5.	निजी भवनों पर लगे विज्ञापन/होर्डिंग्स	100.00	ति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
6.	फ्लाईओवर कालम (10×20 फिट)	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
7.	पुल/पुल के कालम पर (10×20 फिट)	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
8.	प्रोटेक्शन स्क्रीम/नाला कल्वर्ट (8×15 फिट)	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
9.	निजी बस/पब्लिक बस एडवरटाईजिंग 4×15 फिट (दोनों साईड) बैक साइड 3×3 फिट	20.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
10.	डिलवरी वाहन/सर्विस वाहन/टैक्सी	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
11.	डिमोस्टेशन वाहन	200.00	प्रतिदिन
12.	बिल्डिंग रैंप 80×20 फिट	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
13.	पार्किंग (दो डिसप्ले बोर्ड) 3×5 फिट	100.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
14.	ट्री-गार्ड 1.5×1.5 फिट	25.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
15.	ट्रैफिक बैरीकटिंग	200.00	प्रति बैरीकैटिंग
16.	ट्रैफिक पोस्ट/पुलिस बूथ के ऊपर कियोस्क 2×3 फिट	160.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष

17.	सार्वजनिक शौचालय दो साईड वाल 8×10 फिट	100.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
18.	रोड डिवाईडर/सड़क के किनारे यूनिपोल 20×10 लगाये जाने पर	200.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
19.	गैन्ट्री (स्वागत द्वार) रोड सर्फेश के सम्पूर्ण भाग को छोड़ने के पष्चात लगाये जाने पर एन0एच0/प्रान्तीय मार्ग पर	250.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
20.	गैन्ट्री (स्वागत द्वार) रोड सर्फेश के सम्पूर्ण भाग को छोड़ने के पष्चात लगाये जाने पर एन0एच0/प्रान्तीय मार्ग पर नगर पंचायत के आन्तरिक मार्ग एवं अन्य मुख्य मार्ग	150.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
21.	लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार अतिरिक्त दिन के लिए	200.00	प्रतिदिन
22.	इवेन्ट एण्ड एक्जीबिशन/मेला एक दिन का अतिरिक्त दिन के लिए	5,000.00/500.0	प्रतिदिन
23.	बस शैल्टर 26×5 फिट	200.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
24.	बिजली/टेलीफोन के खम्बों पर कियोक्स 3×2 फिट	150.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
25.	बैलून (गुब्बारा) पर विज्ञापन	100.00	प्रति बैलून/प्रतिवर्ष
26.	केवल/जीओ फाईबर द्वारा टेलिविजन हेतु दिये गये कनेक्शन के अनुसार विज्ञापन शुल्क	500.00	प्रतिवर्ष/प्रति कनेक्शन केवल आपरेटर अथवा कम्पनी को देना होगा।

12. नगर पंचायत द्वारा विज्ञापन शुल्क का ठेका 2 वर्ष के लिए दिया जायेगा तथा प्रतिवर्ष ठेके की धनराशि मे 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी अथवा गैन्ट्री या बस शैल्टर का BOT पर ठेका दिये जाने की अवधि कम से कम 5 वर्ष या अधिक से अधिक 10 वर्ष होगी, जिसमें प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्वि विज्ञापन शुल्क में की जायेगी।
13. निम्नलिखित क्षेत्रों मे विज्ञापन पट्ट प्रतिबन्धित रहेगा-

1. धार्मिक स्थल।
2. नगर पंचायत कार्यालय के आसपास।

14. नगर पंचायत सीमान्तर्गत सम्प्रदर्शित किये जाने वाले ग्लोसाईन/साईन बोर्ड जो दुकानों के नाम के साथ या स्वतन्त्र रूप से किसी वस्तु के विषय, गुण आदि के बारे में उल्लेख हो, जनसाधारण को विज्ञापन की भांति आकर्शित करता हो, के विज्ञापनकर्ता से विज्ञापन शुल्क की वसूली की जायेगी का कार्य निविदा के माध्यम से ठेके पर किया जायेगा।

15. विज्ञापन शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 अप्रैल तक पूर्णतः अग्रिम (100 प्रतिशत) जमा किया जायेगा। एक माह तक शुल्क जमा न होने पर सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा तथा बकाया विज्ञापन शुल्क की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी।
16. इन्डिकेटर बोर्ड या अन्य बोर्ड जहां दोनों ओर विज्ञापन लिखें होगें वहाँ निर्धारित शुल्क दुगुने हो जायेगें, इन्डिकेटर बोर्ड का साईज 5 × 3 फीट का होगा।
17. विज्ञापन शुल्क बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक या नकद के रूप में ही जमा किया जायेगा।
18. प्रत्येक तिराहों एवं चैराहे में जहां कि समय-समय पर विज्ञापन पट्ट एकदम रास्ते के किनारे से एक दूसरे के अगल-बगल से आने वाले वाहनों का एक दूसरे को देखने में कठिनाई होती है तथा यातायात में बाधा उत्पन्न होती है, इन चैराहों एवं तिराहों में केन्द्र से चारों ओर पथों पर 25 मीटर तक विज्ञापन पट्ट लगाने में प्रतिबन्ध रहेगा।
19. पोल कियोस्क का साईज 2 × 3 फिट होगा।
20. सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे-शराब, तम्बाकू, धूम्रपान एवं अश्लील, जातिसूचक, धार्मिक भवनाओं को उत्तेजित करने वाले, पशु क्रूरता, हिंसात्मक, विध्वंसक उत्पाद, हथियारों से सम्बन्धित उत्पाद सम्बन्धी विज्ञापनों का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
21. किसी भी विज्ञापन एजेन्सी द्वारा यदि स्वीकृत पट्ट के इतर कोई विज्ञापन प्रदर्शित किया हुआ पाया गया, तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
22. जनहित अथवा यातायात की दृष्टि से एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार यदि किसी स्वीकृत विज्ञापन पट्ट को हटाने की आवश्यकता होती है तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन पट्ट हटा दिया जायेगा, जिस पर कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
23. यूनियन रोड कांग्रेस द्वारा रोड शाइन (आई0आर00सी0) 67-2001 में निर्धारित कलरों/मानकों का प्रयोग ही विज्ञापन पट्टों के लिए अनुमन्य होगा। विज्ञापन पट्टों में प्रयोग किये जाने वाले रंग एवं फोन्ट साईज आफिशियल ट्रैफिक साइन के समान एवं वाहन चालक को भ्रमित करने वाले नहीं होगें।

24. विज्ञापन पट्ट/यूनिपोल का आवंटन विज्ञापन शुल्क के निर्धारित न्यूनतम धनराशि पर सीलबन्द निविदायें आमन्त्रित कर सर्वोच्च बोलीदाता को किया जायेगा।
25. रोड पटरी, निजी भवनों एवं भूमियों पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन अवैध रूप से लगाने पर विज्ञापन एजेन्सी, ठेकेदार एवं भवन स्वामी से रू0 25,000/- जुर्माना वसूल किया जायेगा एवं अवैध विज्ञापन पट्ट को तत्काल हटाते हुए विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण एवं ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। इस पर हाने वाले व्यय की वसूली विज्ञापन एजेन्सी एवं ठेकेदार से की जायेगी।
26. जनहित में नगर पंचायत में पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियों को जो भी विज्ञापन पट्ट स्वीकृत किये जायेगें, उन पर सुन्दर, स्वच्छ, सेलाकुई का स्लोगन प्रदर्शित किये जायेगें तथा यातायात की दृष्टि से पुलिस विभाग द्वारा लगाये जाने वाले विज्ञापन के लिए हार्डिंग्स/यूनीपोल में उनकी आवश्यकता अनुसार निःशुल्क स्थान दिया जायेगा।
27. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त करते हुए एजेन्सी को ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार बोर्ड मे निहित होगा।

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लघंन नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा-299 (1) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो रू0 1000.00 तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाय, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, रू0 250.00 तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून में अन्तिम रूप में निहित होगा।

बी0एल0 आर्य,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून।

विनोद कुमार,
प्रशासक,
नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून।

कार्यालय नगर पंचायत सेलाकुई (से0हो0टा0) जिला–देहरादून

उपविधि

19 अक्टूबर, 2022 ई0

पत्रांक 410/गजट–प्र0/2022–23–नगर पंचायत सेलाकुई जिला–देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम–1916) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2022 की धारा–298(2) लिस्ट (जे0) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत सेलाकुई जिला–देहरादून द्वारा निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण एवं नियंत्रण के लिए बनाई गयी **"ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियंत्रण उपविधि–2022"** नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत आपत्ति एवं सुझाव हेतु समाचार पत्र दैनिक अमर उजाला के अंक दिनांक 30.08.2022 में प्रकाशन किया गया है, परन्तु नियत अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुआ है।

अतः अब प्रशासक नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून द्वारा नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा-301(2) के अन्तर्गत "ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियंत्रण उपविधि-2022" उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशित करने की स्वीकृति दी गयी है, यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियंत्रण उपविधि-2022

1- परिभाषाएँ-

(क) यह उपविधि नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून के "ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियंत्रण उपविधि-2022" कहलायेगी, जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू एवं प्रभावी होगी।

(ख) "निकाय" का तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून से है।

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत के निर्वाचित अध्यक्ष/सभासदों अथवा प्रशासक से है।

(घ) "अधिनियम" का तात्पर्य उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखंड में यथा प्रवृत्त) संशोधन एवं उपांतरण आदेश 2002 से है।

(ङ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(च) "ठेकेदार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जो नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून में समस्त निर्माण कार्य, पुनः निर्माण, सामग्री आपूर्ति एवं अन्य कार्य जो संविदा के अंतर्गत आते हो, को करने का इच्छुक व्यक्ति/फर्म हो।

(छ) "श्रेणी" का तात्पर्य ठेकेदार की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी से है।

2- पंजीकरण की प्रक्रिया-

नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादूनके निर्माण कार्य सड़क/नाली/नाला/पुस्ता/अन्य निर्माण एवं भवन के निर्माण कार्यों के सम्पादन तथा सामग्री आपूर्ति हेतु ठेकेदार की तीन श्रेणियाँ होगी। इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में निम्न शर्तों/औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करा सकता है-

1- वह भारत का नागरिक हो तथा नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून सीमांतर्गत कम से कम 5 वर्ष से निवास करता हो, अथवा उत्तराखण्ड राज्य का निवासी हो,का प्रमाण-पत्र, दो पासपोर्ट साईज फोटो सहित देनी होगी।

2- जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त द्वारा प्रदत्त अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र।

3- जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण-पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है)।

(क)	प्रथम श्रेणी के लिए	15.00 लाख
(ख)	द्वितीय श्रेणी के लिए	05.00 लाख
(ग)	तृतीय श्रेणी के लिए	03.00 लाख

4- <u>प्रथम श्रेणी में</u> पंजीकरण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, सिचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, जल संस्थान एवं जिला पंचायत आदि विभागों में कम से कम सड़क/नाली/नाला आदि एवं भवन निर्माण का 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 50.00 लाख के अनुबंध (बाण्ड) पत्र देने होगे। इसके अतिरिक्त स्वयं का तकनीकी अभियंता एवं टी0एण्ड0पी(मिक्सचर मशीन/ वाईबरेटर /जे0सी0बी0/रोड रोलर/प्रिमीक्सिंग मशीन) आदि होने आवश्यक होगे। अनुभव प्रमाण पत्र अधिशासी अभियंता/अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

5- <u>द्वितीय श्रेणी में</u> पंजीकरण कराने हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में 25.00 लाख के अनुबंध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होगे (अनुभव प्रमाण-पत्र उपरोक्तानुसार जारी ही मान्य होगा)।

6- <u>तृतीय श्रेणी में</u> पंजीकरण हेतु उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग तथा प्रथम श्रेणी के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम दो वर्ष का कार्य किया हो, का अनुभव प्रमाण-पत्र देना होगा।

7- प्रत्येक ठेकेदार, आयकर एवं जी0एस0टी0 विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य हैं,तथा आयकर एवं जी0एस0टी0 का पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

8- नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून में उक्तानुसार ठेकेदारी पंजीकरण का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून में निहित होगा।

3- जमानत-

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थायी जमानत राशि राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0)/ किसान विकास पत्र/एफ0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून के पद नाम से बंधक कर आवेदन पत्र के साथ देनी होगी।

(क)	प्रथम श्रेणी के लिए	50,000.00
(ख)	द्वितीय श्रेणी के लिए	25,000.00
(ग)	तृतीय श्रेणी के लिए	15,000.00

4- पंजीकरण शुल्क-

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क की धनराशि नकद रूप में नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून के कोष में जमा करनी होगी।

(क)	प्रथम श्रेणी के लिए	15,000.00
(ख)	द्वितीय श्रेणी के लिए	10,000.00
(ग)	तृतीय श्रेणी के लिए	5,000.00

5- पंजीकरण की अवधि-

प्रत्येक वर्ष में मात्र माह 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक ठेकेदारों के पंजीकरण किये जायेंगे। पंजीकरण हेतु निर्धारित आवेदन का प्रारूप रू0 500.00 नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून कोष में जमा कर क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा,जो अवर अभियंता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

6- नवीनीकरण कि प्रक्रिया-

ठेकेदारों को प्रत्येक 02 वर्ष के बाद में निम्न श्रेणी के अनुसार अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होगा-

1. नवीनीकरण प्रत्येक 02 वर्ष के बाद में 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक ही होगा।
2. नवीनीकरण से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को निर्धारित नवीनीकरण आवेदन पत्र के लागत रू0 250.00 निकाय कोष में जमा कराकर प्राप्त करना होगा, नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ विगत वर्ष में किये गये निर्माण कार्यों क विवरण देना होगा।
3. नवीनीकरण शुल्क निम्न श्रेणी के अनुसार नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून के कोष में जमा कराने तथा विगत वर्ष में किये गये कार्यों के विवरण पर नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून के अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी-

(क)	प्रथम श्रेणी के लिए	10,000.00
(ख)	द्वितीय श्रेणी के लिए	7,000.00
(ग)	तृतीय श्रेणी के लिए	5,000.00

4. अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण के नवीनीकरण को उसके त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए रोक सकता है।
5. नवीनीकरण के आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक वर्ष में चरित्र-पत्र (जो छः माह की अवधि के अंदर का हो) तथा नवीनतम हैसियत प्रमाण-पत्र/नवीनीकरण के समय यदि हैसियत यथावत हो तो उसके लिये शपथ-पत्र देना होगा।

7- निर्माण के सम्पादन के सीमा-

प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगा-

1. प्रथम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि के) निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकार होगे।
2. द्वितीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रू0 25.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकार होगे।
3. द्वितीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रू0 15.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकार होगे।

8- निविदा प्रपत्र की लागत-

निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुमान (आगणन) धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा।

कार्यों की लागत (रुपये में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रुपये में)
a. रू0 1,00,000 तक	100.00
b. रू0 1,00,001 से रू0 2,00,000 तक	200.00
c. रू0 200,001 से रू0 3,00,000 तक	300.00
d. रू0 300,001 से रू0 4,00,000 तक	400.00
e. रू0 400,001 से रू0 5,00,000 तक	500.00
f. रू0 500,001 से रू0 6,00,000 तक	600.00
g. रू0 600,001 से रू0 7,00,000 तक	700.00

h. रू0 700,001 से अधिक के कार्यों के निविदा प्रपत्र का मूल्य प्रति 10000.00 पर रू0 10.00 के हिसाब से गणना कर निर्धारित कर किया जायेगा।

प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यों का ठेका लेने के लिए नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून से निविदा प्रपत्र नकद मूल्य देकर खरीदेगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य, जमा होने के पश्चात किसी भी स्थिति में न तो वापिस होगा और न ही आगामी निविदाओ में समायोजित होगा। निविदा प्रपत्र नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून के पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय किये जायेंगे।

9- निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार-

ठेकेदार द्वारा डाली गई निविदाओ में न्यूनतम निविदाओ को स्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष का होगा, किंतु यदि न्यूनतम निविदा आंकलन से ठेकेदार के 10 प्रतिशत लाभ घटाने के बाद भी कम हैं, तो इस पर तकनीकी राय लेकर निर्णय लिया जायेगा। निविदा डालने के 6माह तक उन्हीं दरों पर कार्य करने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा। यदि ठेकेदार को निविदा डालने की तिथि से 6 माह बाद कार्यादेश दिया जाता है तो ठेकेदार उन दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा। बिना कोई कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओ को निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष /प्रभारी अधिकारी, नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून में निहित होगा।

10- धरोहर राशि-

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रीक्यूरमेंट पॉलिसी) नियम 2017 में किये गये प्राविधान के अनुसार स्थायी जमानत/धरोहर धनराशि निविदा के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र एवं एफ0डी0आर0 के रूप में जो नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून के पदनाम से बंधक हो, देनी होगी।

11- ठेकेदार का भुगतान-

कार्य समाप्ति के पश्चात ठेकेदार का कार्य संतोषजनक होने पर नियमानुसार बिल की धनराशि से समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आयकर, जी0एस0टी0 एवं जमानत आदि देय करो की राशि काटने के उपरांत भुगतान किया जायेगा, जमानत

राशि का भुगतान 1 वर्ष बाद कार्य संतोषजनक होने पर अवर अभियंता की संस्तुति पर किया जायेगा।

12- कार्य पूर्ण करने की अवधि-

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि निविदा फार्म में दी गयी कार्य अवधि के अंतर्गत कार्य पूर्ण करें, यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता हैं तथा उसकी कार्य अवधि बढाने हेतु ठेकेदार द्वारा समय प्राप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना-पत्र दिया जाता हैं तो अवर अभियंता/अधिशासी अधिकारी कि संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढाने की स्वीकृति एक बार प्रदान की जा सकती हैं, यदि ऐसा नहीं किया गया तो ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती हैं। ऐसी अवधि के लिए अवशेष कार्य पर 5 प्रतिशत की दर से अंतिम बिल की धनराशि से अर्थदण्ड के रूप कटौती कर ली जायेगी, यदि इस धनराशि की प्रतिपूर्ति बिल की धनराशि से नहीं हो पाने की स्थिति में दण्ड की अवशेष धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति सम्बंधित ठेकेदार से की जायेगी।

13- पंजीकरण का निरस्तीकरण-

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं करता हैं अथवा कार्य संतोषजनक गुणवत्ता के अनुसार स्वीकृत स्टीमेट व साईट प्लान के अनुरूप नहीं करता है अथवा नगर पंचायत के किसी कार्मिक के साथ अव्यवहार एवं अभद्रता करता है या किसी प्रकार का अनुचित दबाव डालता है, तो ऐसी स्थिति में अवर अभियंता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त कर ऐसे ठेकेदार को ब्लैक लिस्टड किया जा सकता है। पंजीकरण निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यों का भुगतान नगर पंचायत को हुई हानि के समायोजन के पश्चात किया जायेगा।

14- जमानत जब्त करने का अधिकार-

यदि ठेकेदार नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून के उपनियमों या ठेके की शर्तों अनुबंध-पत्र का उल्लंघन कर नगर पंचायत को कोई हानि पहुँचाता है या उपविधि के नियम 13 के विपरीत कार्य करता है तो ऐसी दशा में अवर अभियंता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष को ठेकेदार की जमानत जब्त का अधिकार होगा। यदि इसके बाद भी नगर पंचायत सेलाकुई जिला-देहरादून की क्षतिपूर्ति न हो सके तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी।

बी0एल0 आर्य,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून।

विनोद कुमार,
प्रशासक,
नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 53 हिन्दी गजट/727 –भाग 8–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।